

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 38

अमूर्त आस्तियां

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य उन अमूर्त आस्तियों के लिए लेखांकन पद्धति निर्धारित करना है जिनकी चर्चा किसी अन्य मानक में विशेषतौर पर नहीं की गयी है। यह मानक अपेक्षा करता है कि कोई प्रतिष्ठान किसी अमूर्त आस्ति को तभी, और केवल तभी, मान्यता देता है जब वह निर्धारित शर्तें पूरी करता हो। इस मानक में यह भी उल्लेख किया गया है कि अमूर्त आस्तियों की अग्रणीत राशि की गणना कैसे की जाये तथा इसमें अमूर्त आस्तियों को प्रकट करने संबंधी विशेष अपेक्षाएँ क्या हैं।

कार्यक्षेत्र

2. यह मानक निम्नलिखित को छोड़कर अमूर्त आस्तियों का लेखा करने के लिए प्रयुक्त किया जायेगा:
 - (क) वे अमूर्त आस्तियां जो किसी अन्य मानक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं ;
 - (ख) भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण* में यथापरिभाषित वित्तीय आस्तियां;
 - (ग) खोज तथा मूल्यांकन आस्तियों की मान्यता तथा माप [देखें भारतीय लेखा मानक 106, *खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन*] ; और
 - (घ) खनिजों, तेल, प्राकृतिक गैस तथा इसी प्रकार के अन्य गैर-पुनरुत्पादक संसाधनों के विकास तथा निकाले जाने पर खर्च ।
3. यदि किसी विशिष्ट किस्म की अमूर्त आस्ति के संबंध में किसी अन्य मानक के अंतर्गत लेखांकन निर्धारित हो तो वह प्रतिष्ठान इस मानक के स्थान पर उस मानक को लागू करेगा । उदाहरण के लिए यह मानक निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :
 - (क) सामान्य व्यवसाय के दौरान, किसी प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री के लिए धारित अमूर्त आस्तियां [देखें भारतीय लेखा मानक 2, *सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)*] ।
 - (ख) आस्थगित कर आस्तियां [देखें भारतीय लेखा मानक 12, *आयकर*]

- (ग) पट्टे जो भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे के कार्यक्षेत्र में आते हैं।
- (घ) कर्मचारी लाभों से उद्भूत आस्तियां [देखें भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारी लाभ*] ।
- (ङ) भारतीय लेखा मानक 32, में यथापरिभाषित वित्तीय आस्तियां । कुछ वित्तीय आस्तियों की मान्यता तथा माप, भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण* एवं भारतीय लेखा मानक 28, *सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश* के अन्तर्गत आता है।
- (च) किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित ख्याति (गुडविल) (देखें भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन*) ।
- (छ) भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध* के कार्यक्षेत्र में आने वाली बीमा अनुबंधों के अंतर्गत बीमाकर्ता के अनुबंधात्मक अधिकारों से उत्पन्न आस्थगित अर्जन लागतें तथा अमूर्त आस्तियां। भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध* आस्थगित अर्जन लागतों के लिए विशेष प्रकटन की अपेक्षाओं का उल्लेख करता है, न कि अमूर्त आस्तियों के लिए । अतः इस मानक में प्रकटन की अपेक्षाएँ उन अमूर्त आस्तियों पर लागू होंगी ।
- (ज) भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन* के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू अमूर्त आस्तियां (अथवा निपटान समूह में शामिल ऐसी आस्तियां जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत हैं) ।
- (झ) भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व* के अनुसरण में मान्य ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न आस्तियां।
4. कुछ अमूर्त आस्तियां किसी चीज के अन्दर या भौतिक वस्तु के रूप में हो सकती हैं जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के मामले में), कानूनी दस्तावेज़ (लाइसेंस अथवा पेटेंट के मामले में) अथवा फ़िल्म। यदि किसी आस्ति में अमूर्त अथवा मूर्त दोनों ही तत्व हों तो उसे भारतीय लेखा मानक 16, *संपत्ति, संयंत्र और उपकरण* के अंतर्गत माना जायेगा अथवा इस मानक के अंतर्गत अमूर्त आस्ति के रूप में । प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करता है कि कौन-सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक कम्प्यूटर-नियंत्रित मशीन टूल किसी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता अतः संबद्धित हार्डवेयर के लिए वह सॉफ्टवेयर उसका अभिन्न अंग है और उसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण माना जायेगा । कम्प्यूटर परिचालन प्रणाली (ऑपरेटिंग सिस्टम) के लिए भी यही मानदंड लागू होता है। जब सॉफ्टवेयर संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग न हो तो उसे अमूर्त आस्ति माना जाता है।
5. यह मानक अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापन, प्रशिक्षण, शुरुआत, अनुसंधान और विकास-कार्यों पर लागू होता है। अनुसंधान और विकास गतिविधियों से ज्ञान का विकास होता है। इसलिए, यद्यपि इन गतिविधियों से ऐसी आस्तियों का निर्माण हो सकता है जो भौतिक रूप में विद्यमान हों (उदाहरणार्थ, एक प्रोटोटाइप) तथापि आस्ति के अमूर्त घटक अर्थात् उसमें निहित ज्ञान की तुलना में उसका भौतिक पक्ष गौण होता है।
6. वित्तीय पट्टे के मामले में, उसके अंतर्गत आने वाली आस्ति मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी । प्रारंभिक मान्यता के बाद पट्टेदार इस मानक के अनुसार वित्तीय पट्टे के अंतर्गत रखी गयी अमूर्त आस्ति

का लेखा करता है। चल-चित्र फ़िल्मों, वीडियो रिकार्डिंगों, नाटकों, पांडुलिपियों, पेटेंटों तथा स्वामित्वाधिकारों (कापीराइटों) आदि के लिए लाइसेंस करारों के अंतर्गत अधिकार भारतीय लेखा मानक 17, के कार्यक्षेत्र से बाहर रखे गये हैं और वे इस मानक के अंतर्गत आते हैं।

7. इस मानक के कार्यक्षेत्र से बाहर वे गतिविधियां अथवा लेन-देन होंगे जो इतने विशेषज्ञतापूर्ण हों कि उनसे ऐसे लेखांकन मुद्दे उठें जिन पर अलग ढंग से कार्रवाई अपेक्षित हो। ऐसे मुद्दे खनन उद्योगों के मामले में तेल, गैस तथा खनिज पदार्थों की खोज, विकास व खुदाई पर हुए व्यय तथा बीमा अनुबंधों के लेखांकन के मामले में उठते हैं। इसलिए, यह मानक इस प्रकार की गतिविधियों एवं अनुबंधों पर लागू नहीं होता। बहरहाल, यह मानक प्रयुक्त हुई अन्य मानक आस्तियों (जैसे, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर) तथा खनन उद्योगों में हुए अन्य खर्चों (जैसे, शुरुआती लागतें) अथवा बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये खर्चों पर लागू होगा।

7कक भारतीय लेखा मानक 101, के परिशिष्ट घ के अनुच्छेद घ 22 में दिये गये अपवाद को छोड़कर, प्रथम लेखा मानक की रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से तत्काल पूर्व समाप्त हुई अवधि की वित्तीय विवरणों में मान्य टॉल सड़कों के संबंध में सेवा रियायत व्यवस्थाओं से उत्पन्न अमूर्त आस्तियों को जब प्रतिष्ठान परिशोधित करने के लिए चयन करता है, तो उस प्रतिष्ठान पर इस लेखा मानक में विनिर्दिष्ट परिशोधन विधि लागू नहीं होती है।

परिभाषाएं

8. मानक में प्रयुक्त शब्दावली यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयोग की गयी है :

परिशोधन का अर्थ है किसी अमूर्त आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान उसकी ह्रासमान राशि का व्यवस्थित ढंग से आवंटन।

आस्ति का अर्थ है ऐसा संसाधन :

(क) जो किसी प्रतिष्ठान द्वारा विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप नियंत्रित हो ; और

(ख) जिससे उस प्रतिष्ठान को भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने की आशा हो।

अग्रणीत राशि वह राशि है जिस पर संचित परिशोधन एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानियां घटाकर तुलन-पत्र में किसी आस्ति को मान्यता दी जाती है।

लागत वह प्रदत्त नकदी अथवा नकदी-तुल्य राशि अथवा किसी अन्य प्रतिफल का उचित मूल्य है जो किसी आस्ति के अधिग्रहण अथवा निर्माण के समय अथवा जब लागू हो अन्य भारतीय लेखा मानकों, जैसे भारतीय लेखा मानक 102, *शेयर आधारित भुगतान* की विशेष अपेक्षाओं के अनुसार उक्त आस्ति के साथ प्रारंभिक रूप से सम्बद्ध हो।

मूल्यह्रास-योग्य राशि से तात्पर्य उस राशि से है जो किसी आस्ति की लागत अथवा लागत के एवज में लगायी जाने वाली राशि में से उसके शेष मूल्य को घटाकर बचता है।

विकास का अर्थ है उत्पादन के लिए अनुसंधान के निष्कर्षों अथवा अन्य जानकारी को योजना या डिजाइन की नयी अथवा पर्याप्त रूप से सुधारी गयी सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, कार्य-विधियों, कार्य-प्रणालियों अथवा सेवाएं को वाणिज्यिक उत्पादन के शुरु होने अथवा प्रयोग से पूर्व व्यवहार में लाना।

प्रतिष्ठान विशेष मूल्य नकदी प्रवाह का वह वर्तमान मूल्य है जो प्रतिष्ठान किसी आस्ति के सतत् प्रयोग से तथा उसके उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसके निपटान से पाने की आशा करता है अथवा किसी देयता के निपटान पर खर्च करने की आशा करता है।

आस्ति का उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अन्तरण पर अदा की जाती है, (देखें भारतीय लेखा मानक 113, *उचित मूल्य माप*)।

क्षतिग्रस्तता हानि वह राशि है जो किसी आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) लागत इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

अमूर्त आस्ति पहचान-योग्य वह गैर-मौद्रिक आस्ति है जो भौतिक रूप में विद्यमान नहीं होती है।

मौद्रिक आस्तियां वे धारित मुद्रा तथा प्राप्य आस्तियां हैं जो स्थिर या निर्धारित योग्य मुद्रा की राशियों के रूप में हों।

अनुसंधान वह मौलिक तथा सुनियोजित अनुसंधान या जाँच है जो नये वैज्ञानिक अथवा तकनीकी ज्ञान और समझ को प्राप्त करने के लिए की जाती है।

किसी अमूर्त आस्ति का *अवशिष्ट मूल्य* वह अनुमानित राशि है जो कोई प्रतिष्ठान किसी ऐसी आस्ति की अनुमानित निपटान लागत घटाकर वर्तमान में आस्ति को निपटान करके प्राप्त करेगा यदि वह आस्ति पहले ही अपना जीवन-काल और उस आस्ति का उपयोगी जीवनकाल पूरा होने पर संभावित स्थिति में उसे पूरा कर चुकी है।

उपयोगी जीवनकाल का अर्थ है :

- (क) वह अवधि जिसके दौरान कोई आस्ति किसी प्रतिष्ठान के उपयोग के लिए उपलब्ध रह सकती है; अथवा
- (ख) किसी प्रतिष्ठान को आस्ति से मिलने वाले प्रत्याशित उत्पादन अथवा उसी प्रकार की इकाइयों की संख्या।

अमूर्त आस्तियां

9. प्रतिष्ठान समय-समय पर अमूर्त संसाधनों के अधिग्रहण, विकास, अनुरक्षण अथवा बढ़ोतरी जैसे वैज्ञानिक अथवा तकनीकी जानकारी तथा नयी प्रक्रियाओं अथवा कार्य प्रणालियों के डिजाइन और कार्यान्वयन, लाइसेंसों, बौद्धिक संपदा, बाजार की जानकारी एवं ट्रेडमार्कों (ब्रांड-नामों और प्रकाशन स्वामित्वों सहित) पर अपने संसाधन खर्च करते हैं अथवा उन्हें इनके संबंध में देयतायें वहन करनी पड़ती हैं। इन प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत घरे में आने वाली मदों के सामान्य उदाहरण हैं, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, चलचित्र फ़िल्में, ग्राहक-सूचियां, बंधक सेवा अधिकार, मछली पकड़ने के लाइसेंस, आयात के कोटे, विशेष विक्रय अधिकार (प्रेन्चाइज), ग्राहक अथवा आपूर्तिकर्ता संबंध, ग्राहक-निष्ठा, बाजार का शेयर तथा विपणन अधिकार।
10. अनुच्छेद 9 में उल्लिखित सभी मदें अमूर्त आस्तियों की परिभाषा को पूरा नहीं करती जैसे कि पता लगाये जाने की योग्यता, किसी संसाधन पर नियंत्रण तथा भावी आर्थिक लाभों का अस्तित्व। यदि कोई मद इस मानक के अर्थ के अन्दर अमूर्त आस्ति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती तो उसे अर्जित करने पर किया गया खर्च अथवा आंतरिक रूप से उसे सृजित करने पर जो खर्च होता है उसे व्यय के रूप में माना जाता है। बहरहाल, यदि ऐसी मद किसी व्यवसाय के संयोजन के दौरान अधिग्रहीत की जाती है तो वह अर्जन की तिथि पर ख्याति (गुडविल) का अंग मानी जाती है (देखें अनुच्छेद 68)।

पहचान-योग्यता

11. अमूर्त आस्ति की परिभाषा की अपेक्षा के अनुसार अमूर्त आस्ति पहचान योग्य होनी चाहिए ताकि उसे ख्याति (गुडविल) से अलग जाना जा सके। किसी व्यावसायिक संयोजन में मान्य ख्याति (गुडविल) वह आस्ति होती है जो किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अन्य आस्तियों से प्राप्त होने वाले ऐसे भावी आर्थिक लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें न तो अलग-अलग रूप में पहचाना जाता है और न अलग ही माना जाता है। भावी आर्थिक लाभ उन अधिग्रहीत पहचान योग्य आस्तियों के बीच परस्पर ताल-मेल से मिलते हैं जो ऐसी आस्तियों से उद्भूत होते हैं और जो अलग-अलग होने पर वित्तीय विवरणों में मान्यता के योग्य नहीं होते।
12. किसी आस्ति को पहचान-योग्य तब माना जाता है जब:
 - (क) वह अलग है, अर्थात् वह अलग किये जाने योग्य हो अर्थात् उसे प्रतिष्ठान से अलग या विभाजित किया जा सकता हो और उसे या तो अलग-अलग से अथवा किसी संबद्ध अनुबंध के साथ पहचान योग्य आस्ति अथवा देयता के साथ प्रतिष्ठान ऐसा करना चाहता भी है अथवा नहीं इसका लिहाज किए बिना बेचा या हस्तांतरित किया जा सके या लाइसेंस या किराये पर दिया जा सके या फिर अदला-बदली की जा सकती हो ; अथवा
 - (ख) वह अनुबंधात्मक अथवा अन्य कानूनी अधिकारों से उद्भूत हो भले ही वे अधिकार हस्तांतरण योग्य हों या प्रतिष्ठान से अलग करने योग्य हों अथवा अन्य अधिकारों और देयताओं से अलग किये जा सकते हों।

नियंत्रण

13. कोई भी प्रतिष्ठान किसी आस्ति को तब नियंत्रित करता है जब उस प्रतिष्ठान के पास अंतर्निहित संसाधनों से प्रवाहित होने वाले भावी लाभों को प्राप्त करने और उन लाभों को अन्य किसी के पास जाने देने से रोकने की शक्ति हो। किसी अमूर्त आस्ति से होने वाले भावी आर्थिक लाभों को नियंत्रित करने की किसी प्रतिष्ठान की क्षमता सामान्यतः उन वैध अधिकारों से उद्भूत होती है जब वे अधिकार किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय हों। वैध अधिकारों की अनुपस्थिति में नियंत्रण दिखा पाना अधिक कठिन हो जाता है। बहरहाल, किसी अधिकार को कानूनी रूप से लागू करना नियंत्रण की आवश्यक शर्त नहीं है क्योंकि कोई प्रतिष्ठान किसी अन्य ढंग से भी भावी आर्थिक लाभों को नियंत्रित कर सकता है।
14. बाज़ार और तकनीकी ज्ञान से भी भावी आर्थिक लाभ हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई प्रतिष्ठान इन लाभों को तब भी नियंत्रित कर सकता है जब यह ज्ञान वैध अधिकारों से सुरक्षित हो जैसे प्रकाशनाधिकार (कापीराइट), व्यापार करार का प्रतिबंध (जहाँ अनुमति हो) अथवा कर्मचारियों की गोपनीयता रखने संबंधी कानूनी ड्यूटी।
15. किसी भी प्रतिष्ठान में कुशल स्टाफ़ की टीम हो सकती है और वह प्रतिष्ठान स्टाफ़ की बढ़ती हुई कुशलता की आवश्यकता का पता लगा सकता है जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। वह प्रतिष्ठान यह भी आशा कर सकता है कि उसका स्टाफ़ प्रतिष्ठान को अपना कार्य कौशल उपलब्ध कराता रहेगा। बहरहाल, कुशल स्टाफ़ की टीम से मिलने वाले प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभों पर तथा अमूर्त आस्ति की परिभाषा को लागू करने हेतु उन मदों के लिए प्रशिक्षण से होने वाले भावी आर्थिक लाभों पर प्रतिष्ठान का सामान्यतः अपर्याप्त नियंत्रण होता है। ऐसे ही कारणों से विशेष प्रबंधन अथवा तकनीकी प्रतिभा तब तक अमूर्त आस्ति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आयेगी जब तक कि उसके प्रयोग एवं उससे उद्भूत होने वाले भावी आर्थिक लाभों के लिए कानूनी अधिकार सुरक्षित न हो तथा वह परिभाषा की अन्य शर्तें पूरी न करती हो।
16. किसी प्रतिष्ठान के पास ग्राहकों का पोर्टफ़ोलियो अथवा बाज़ार में हिस्सा हो सकता है तथा वह ऐसी उम्मीद कर सकता है कि उसके द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप ग्राहकों के साथ बने संबंध और निष्ठा की वजह से ग्राहक उस प्रतिष्ठान के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे। बहरहाल, प्रतिष्ठान के साथ ग्राहकों के संबंधों अथवा उनकी निष्ठा की सुरक्षा के वैध अधिकारों अथवा अन्य तरीकों के अभाव में प्रतिष्ठान के पास ऐसी मदों (उदाहरणार्थ, ग्राहकों का पोर्टफ़ोलियो, बाज़ार में हिस्सा, ग्राहक संबंधों तथा ग्राहक-निष्ठा) आमतौर पर अमूर्त आस्तियों की परिभाषा को पूरा करने के लिए अपर्याप्त नियंत्रण होता है। ग्राहक संबंधों, उनके लिए विनिमय लेन-देन अथवा इसी प्रकार के गैर-अनुबंधात्मक ग्राहक संबंधों (व्यावसायिक संयोजन के भाग के अलावा) की सुरक्षा के कानूनी अधिकारों के अभाव में यह साक्ष्य प्रदान करना है कि उक्त प्रतिष्ठान फिर भी ग्राहक संबंधों से प्रवाहित होने वाले प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभों को नियंत्रित करने में सक्षम है। चूँकि ऐसे विनिमय लेनदेन यह साक्ष्य भी प्रदान करते हैं कि वे ग्राहक संबंध अलग किये जाने योग्य हैं जो ग्राहक-संबंध अमूर्त आस्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

भावी आर्थिक लाभ

17. किसी अमूर्त आस्ति से प्रवाहित होने वाले भावी आर्थिक लाभों में उत्पादों अथवा सेवाओं की बिक्री से मिलने वाला राजस्व, बचत लागत अथवा प्रतिष्ठान द्वारा प्रयोग में लायी जा रही आस्तियों के परिणामस्वरूप होने वाले अन्य लाभ शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी उत्पादन प्रक्रिया में बौद्धिक सम्पदा के प्रयोग से भावी राजस्व बढ़ने की बजाय भावी उत्पादन लागतें घट सकती हैं ।

मान्यता एवं माप

18. किसी मद को अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता के लिए जरूरी है कि प्रतिष्ठान यह दिखाये कि वह मद निम्नलिखित शर्तों को पूरी करती है :

(क) अमूर्त आस्ति की परिभाषा (देखें अनुच्छेद 8-17): और

(ख) मान्यता मानदंड (देखें अनुच्छेद 21-23)

यह अपेक्षा प्रारंभ में अमूर्त आस्ति अर्जित करने अथवा आन्तरिक रूप से सृजित करने के लिए आकस्मिक रूप से की गई लागतों और तत्पश्चात् की गयी उन लागतों को उसमें जोड़ने, उसे आंशिक रूप से बदलने अथवा उसकी सर्विस पर लागू होती है।

19. अनुच्छेद 25 से 32 तक में अलग से अर्जित अमूर्त आस्तियों पर लागू मान्यता मानदंडों को प्रयोग करने का उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 33 से 43 तक में व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अमूर्त आस्तियों पर उनके प्रयोग होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि सरकारी अनुदान से अधिग्रहीत अमूर्त आस्तियों को प्रारम्भ में किस प्रकार मापा जाये, अनुच्छेद 45-47 में अमूर्त आस्तियों के विनिमय का उल्लेख है और अनुच्छेद 48-50 में आंतरिक रूप से सृजित ख्याति (गुडविल) के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख है। अनुच्छेद 51-67 में आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों की प्रारंभिक मान्यता और माप का उल्लेख है।

20. अमूर्त आस्तियों का स्वरूप ऐसा होता है कि अधिकांश मामलों में न तो उन आस्तियों की वृद्धि होती है और न ही इसके अंश बदलती हैं। तदुनसार, यह आशा है कि इस मानक में अमूर्त आस्ति और मान्यता मानदंड की परिभाषा पूरी करने की बजाय अधिकांश उत्तरवर्ती खर्चों को किसी वर्तमान अमूर्त आस्ति में विद्यमान भावी आर्थिक लाभ को बनाये रखने की संभावना है परन्तु इसके अतिरिक्त, बाद में होने वाला खर्च पूरे व्यवसाय की बजाय किसी विशेष अमूर्त आस्ति से सीधे रूप से संबद्ध करना प्रायः कठिन होता है। इसलिए बाद में किये जाने वाले खर्च अर्थात् अर्जित अमूर्त आस्तियों की प्रारंभिक मान्यता अथवा आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्ति की समाप्ति के बाद कभी कभार ही उत्तरवर्ती व्यय की आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में मान्यता मिलेगी । अनुच्छेद 63 के अनुरूप ब्राण्डों, मस्तूल शिखरों, प्रकाशन शीर्षों, ग्राहक सूचियों और तत्त्वतः एक जैसी वस्तुओं (चाहे बाहर से अधिगृहीत की गयी हों अथवा आंतरिक रूप से सृजित हों) को लाभ अथवा हानि में खर्च के रूप में किया गया माना जाता है। ऐसा

इसलिए है क्योंकि ऐसे खर्च को पूरे व्यवसाय के विकास पर किये जाने वाले खर्च से अलग नहीं किया जा सकता ।

21. किसी अमूर्त आस्ति को तभी, और केवल तभी, अमूर्त आस्ति माना जायेगा, यदि

(क) इस बात की संभावना हो कि उस आस्ति से प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ जो आस्ति से जुड़े हुए है, प्रतिष्ठान के पास ही आयेंगे : और

(ख) आस्ति की लागत का माप विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है।

22. कोई प्रतिष्ठान ऐसे तर्कसंगत एवं स्वीकार्य मान्यताओं का इस्तेमाल करते हुए प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभों की संभावना का अनुमान लगायेगा जो प्रबन्धन की सर्वोत्तम आर्थिक परिस्थितियों के प्राक्कलन का प्रतिनिधित्व करेंगी और जो आस्ति के सम्पूर्ण उपयोगी जीवनकाल में मौजूद रहेंगी ।

23. कोई भी प्रतिष्ठान प्रारंभ में मान्यता के समय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आस्ति के प्रयोग से सम्बन्धित भावी आर्थिक लाभों के प्रवाह के साथ संबद्ध निश्चितता की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए निर्णय करता है और ऐसा करते हुए बाहरी साक्ष्यों को ज़्यादा महत्त्व दिया जायेगा ।

24. अमूर्त आस्ति को प्रारंभ में लागत पर मापा जायेगा ।

पृथक अधिग्रहण

25. सामान्यतः, किसी अमूर्त आस्ति का अलग से अधिग्रहण करने के लिए जब कोई प्रतिष्ठान किसी मूल्य का भुगतान करता है तो इस संभावना की उम्मीदें परिलक्षित होती हैं कि उस आस्ति में अंतर्निहित प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ उस प्रतिष्ठान को जाएगा । दूसरे शब्दों में, वह प्रतिष्ठान वहां यह उम्मीद करता है कि उस आर्थिक लाभों के अंतर्प्रवाह का समय अथवा राशि भले अनिश्चित हो तब भी वे मिलते रहेंगे । इसलिए अनुच्छेद 21(क) में संभाव्य मान्यता के जिस मानदंड का उल्लेख है उसे अलग से अधिग्रहीत अमूर्त आस्तियों के लिए सतत् संतोषजनक होना समझा गया है।

26. इसके अतिरिक्त, अलग से अधिग्रहीत अमूर्त आस्ति की लागत का माप सामान्यतः विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। उस स्थिति में, यह विशेष रूप से तब ऐसा होता है जब खरीद की राशि नकद अथवा मौद्रिक आस्तियों के रूप में हो ।

27. अलग से अधिग्रहीत अमूर्त आस्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) उसका खरीद मूल्य जिसमें व्यापार बट्टा और छूट घटा कर आयात शुल्क तथा वापस न होने वाले क्रय-कर शामिल है; और

(ख) उस आस्ति को वांछित उपयोग के लिए तैयार करने पर लगने वाली प्रत्यक्ष लागत ।

28. प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित लागत के उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

- (क) आस्ति को काम-चलाऊ हालत में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न कर्मचारी लाभों की लागतें [भारतीय लेखा मानक 19, में यथापरिभाषित];
- (ख) आस्ति को काम चलाऊ हालत में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न व्यावसायिक शुल्क; और
- (ग) इस बात की जाँच करने की लागत कि क्या आस्ति ठीक ढंग से कार्य कर रही है।
29. जो व्यय अमूर्त आस्ति की लागत का भाग नहीं है उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं :
- (क) कोई नया उत्पाद अथवा सेवा शुरू करने की लागत (विज्ञापन एवं प्रोत्साहन गतिविधियों की लागतों सहित);
- (ख) किसी नये स्थान पर व्यवसाय चलाने अथवा नयी श्रेणी के ग्राहकों के साथ व्यवसाय करने की लागत (स्टाफ़ के प्रशिक्षण के खर्च की लागत सहित); और
- (ग) प्रशासनिक तथा अन्य सामान्य उपरि लागतें ।
30. अमूर्त आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में लागत की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब आस्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित ढंग से परिचालन योग्य आवश्यक स्थिति में हो । इसलिए, किसी अमूर्त आस्ति को प्रयोग में लाने अथवा पुनः प्रयोग के लिए खर्च की गयी राशि को उस आस्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, अमूर्त आस्ति की अग्रणीत राशि में निम्नलिखित लागतें शामिल नहीं होंगी :
- (क) की गई ऐसी लागतें जब प्रबंधन द्वारा वांछित ढंग से परिचालन योग्य किसी आस्ति को अभी प्रयोग में लाया जाना है; और
- (ख) प्रारंभिक परिचालन हानियां, जैसे कि ऐसी हानियां जो उस समय हुई हैं जब आस्ति से उद्भूत उत्पादन की माँग बन रही हो ।
31. कुछ परिचालन कार्य अमूर्त आस्ति के विकास से संबद्धित होते हैं, परन्तु वे प्रबंधन द्वारा वांछित ढंग से परिचालन योग्य आवश्यक स्थिति में उस आस्ति को लाने के लिए ज़रूरी नहीं होते । ऐसे प्रासंगिक परिचालन कार्य विकास गतिविधियों के दौरान और इसके पूर्व भी हो सकते हैं। चूँकि ऐसे प्रासंगिक परिचालन कार्य किसी आस्ति को उस स्थिति में लाने के लिए आवश्यक नहीं हैं जो प्रबंधन द्वारा वांछित ढंग से परिचालन करने में समर्थ होने के लिए आवश्यक हों । अतः प्रासंगिक परिचालनों से संबद्ध आय और व्यय को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान लिया जाता है और उन्हें आय और व्यय के संबंधित वर्गीकरण में शामिल कर लिया जाता है।
32. यदि किसी अमूर्त आस्ति का भुगतान सामान्य ऋण की अवधि से अधिक अवधि के लिए स्थगित किया जाता है तो उसकी लागत नकद कीमत के समान होती है। इस राशि और कुल भुगतान के बीच के अंतर को ऋण की अवधि पर ब्याज-खर्च का भुगतान माना जाता है बशर्ते उसका भारतीय लेखा मानक 23, *उधार लागतें* के अनुसार पूँजीकरण न किया गया हो ।

व्यावसायिक संयोजन के भाग के रूप में अधिग्रहण

33. भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन* के अनुसार यदि किसी व्यावसायिक संयोजन में कोई अमूर्त आस्ति अधिग्रहीत की जाती है तो उस अमूर्त आस्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख को उसका उचित मूल्य होती है। अमूर्त आस्ति का उचित मूल्य इस बात की संभावना दर्शाता है कि आस्ति में अंतर्निहित प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान को मिलने के प्रति अधिग्रहण तिथि पर बाजार प्रतिभागियों की क्या आशाएं हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिष्ठान यह आशा करता है कि अंतः प्रवाह का समय और राशि भले ही अनिश्चित हों, आर्थिक लाभों का अंतः प्रवाह बना रहेगा। अतः अनुच्छेद 21 (क) में संभावित मान्यता के मानदंड को व्यावसायिक संयोजन में अर्जित आस्तियों के लिए हमेशा संतोषजनक माना जायेगा। यदि किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित किसी आस्ति को अनुबंधात्मक अथवा कानूनी अधिकारों से अलग किया जा सकता हो तो आस्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापने के लिए पर्याप्त सूचना मौजूद होती है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 (ख) में व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अमूर्त आस्तियों के लिए विश्वसनीय माप मानदंड हमेशा पूरे हुए माने जाते हैं।
34. इस मानक तथा भारतीय लेखा मानक 103, के अनुरूप कोई अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति की अमूर्त आस्ति को अधिग्रहण की तारीख को ख्याति (गुडविल) से भिन्न, मान्यता प्रदान करेगा चाहे उस आस्ति को अधिग्रहणिति द्वारा व्यावसायिक संयोजन से पूर्व ही मान्यता दे दी गयी हो। इसका यह अर्थ है कि यदि परियोजना अमूर्त आस्ति की परिभाषा पर खरी उतरती हो तो अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणिति के प्रक्रियाधीन अनुसंधान और विकास परियोजना को ख्याति (गुडविल) से अलग से आस्ति के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अधिग्रहणिति के प्रक्रियाधीन अनुसंधान और विकास परियोजनायें अमूर्त आस्ति की परिभाषा तब पूरी करते हैं जब :
- (क) वह आस्ति की परिभाषा पर खरा उतरता हों; और
- (ख) वह पहचानयोग्य हो अर्थात् अनुबंधात्मक अथवा कानूनी अधिकारों से अलग करने योग्य हो या उनसे उत्पन्न हो।

व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत अमूर्त आस्ति

35. यदि किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अमूर्त आस्ति को अनुबंधात्मक अथवा कानूनी अधिकारों से अलग किया जा सकता हो अथवा उनसे उत्पन्न हो तो आस्ति का उचित मूल्य विश्वसनीय ढंग से मापने के लिए पर्याप्त सूचना मौजूद होती है। अमूर्त आस्ति का उचित मूल्य मापने के लिए प्रयुक्त प्राक्कलनों के लिए जब विभिन्न संभावनाओं वाले संभव परिणाम हो सकते हों तो वह अनिश्चितता आस्ति का उचित मूल्य मापने के साथ जुड़ जाती है।
36. किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अमूर्त आस्ति को भले ही अलग किया जाने वाला हो सकता हो परंतु केवल संबंधित अनुबंध, पहचान योग्य आस्ति अथवा देयता के साथ ही अलग किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अधिग्रहणकर्ता ख्याति (गुडविल) से अलग उस अमूर्त आस्ति को मान्यता प्रदान करता है परन्तु संबंधित मद के साथ मान्यता देता है।

37. अधिग्रहणकर्ता पूरक अमूर्त आस्तियों के समूह को एक एकल आस्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकता है बशर्ते उस अलग-अलग आस्तियों का उपयोगी जीवन-काल एक जैसा ही हो। उदाहरण के लिए 'ब्राण्ड' और 'ब्राण्ड नेम' शब्द ट्रेडमार्क और अन्य मार्कों के लिए पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बहरहाल, 'ब्राण्ड' और 'ब्राण्ड नेम' शब्दों का प्रयोग पूर्व तथा सामान्य विपणन की शब्दावली के रूप में होता है जो ट्रेडमार्क (अथवा सेवामार्क) जैसी पूरक आस्तियों के समूह और उनके ट्रेड नामों, फॉर्मूलों, भोजन बनाने की विधियों और तकनीकी कौशल के संदर्भ के लिए विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होते हैं।

38.-41. [देखें परिशिष्ट 1]

अधिग्रहीत प्रक्रियाधीन अनुसंधान एवं विकास परियोजना पर उत्तरवर्ती व्यय

42. अनुसंधान अथवा विकास व्यय जो :

- (क) अलग-से अधिग्रहीत प्रक्रियाधीन अनुसंधान अथवा विकास परियोजना अथवा व्यावसायिक संयोजन से संबंधित हो तथा जिसे अमूर्त आस्ति मान लिया गया हो एवं
- (ख) उस परियोजना के अधिग्रहण के बाद किया गया हो

उसका लेखा अनुच्छेद 54-62 के अनुसार किया जायेगा।

43. अनुच्छेद 54-62 की अपेक्षाओं को लागू करने का अर्थ है कि अलग-से अर्जित प्रक्रियाधीन अनुसंधान अथवा विकास परियोजना अथवा व्यावसायिक संयोजन में जिसे अमूर्त आस्ति माना गया हो :

- (क) यदि यह अनुसंधान पर किया गया व्यय है तो इसे व्यय के रूप में मान्यता दी जायेगी;
- (ख) यदि यह विकास पर व्यय किया गया है तो इसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जो अनुच्छेद 57 में अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता के लिए मानदण्डों को पूरा न करता हो; और
- (ग) यदि वह ऐसा विकास व्यय है जो अनुच्छेद 57 के मान्यता सम्बन्धी मानदण्डों को पूरा करता है तो इसे अधिग्रहीत प्रक्रियाधीन अनुसंधान अथवा विकास परियोजना की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है।

सरकारी अनुदान के रूप में अधिग्रहण

44. कुछ मामलों में, किसी अमूर्त आस्ति को निःशुल्क अथवा नाम मात्र के मूल्य पर अधिग्रहीत किया जा सकता है जो सरकारी अनुदान के रूप में हो सकती है। यह तब हो सकता है जब सरकार किसी प्रतिष्ठान को अमूर्त आस्तियां जैसे विमानपत्तन पर उतरने के अधिकार, रेडियो अथवा टेलीविजन स्टेशन चलाने का लाइसेंस, आयात लाइसेंस अथवा कोटा अथवा अन्य प्रतिबंधित संसाधनों तक पहुँचने का अधिकार देती है। भारतीय लेखा मानक 20, *सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन* के अनुसार कोई प्रतिष्ठान अमूर्त आस्तियों तथा अनुदान को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता देता है।

आस्तियों का विनिमय

45. किसी गैर-मौद्रिक आस्ति अथवा आस्तियों अथवा मौद्रिक और गैर-मौद्रिक आस्तियों के संयोजन के बदले में एक अथवा अधिक अमूर्त आस्तियां अधिग्रहीत की जा सकती हैं। आगामी विचार-विमर्श केवल एक गैर-मौद्रिक आस्ति का दूसरी गैर-मौद्रिक आस्ति से विनिमय के बारे में है परन्तु यह ऐसे सभी विनिमयों पर लागू होता है जो पूर्ववर्ती वाक्य में वर्णित हैं। इस प्रकार की अमूर्त आस्ति को तब तक उचित मूल्य पर मापा न जायेगा जब तक कि (क) विनिमय लेनदेन में वाणिज्यिक तत्व न हो अथवा (ख) न तो प्राप्त आस्ति और न ही छोड़ी जा चुकी आस्ति का उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से मापने योग्य न हो। यदि प्रतिष्ठान छोड़ी जा चुकी आस्ति को तत्काल अमान्य न कर सकता हो तब भी अर्जित आस्ति का माप इसी ढंग से किया जायेगा। यदि अर्जित आस्ति का माप उचित मूल्य पर न किया गया हो तो उसकी लागत का माप छोड़ी जा चुकी आस्ति की अग्रणीत राशि पर किया जायेगा।
46. कोई भी प्रतिष्ठान किसी लेनदेन के परिणामस्वरूप भावी नकदी प्रवाहों के परिवर्तित होने की संभावनाओं को देखते हुए इस बात का विचार करता है कि क्या विनिमय लेनदेन में वाणिज्यिक तत्व है। किसी विनिमय लेनदेन में निम्न प्रकार वाणिज्यिक तत्व होता है, यदि :
- (क) प्राप्त आस्ति के नकदी प्रवाहों का स्वरूप (अर्थात् जोखिम, समय और राशि) स्थानान्तरित आस्ति के नकदी प्रवाहों के स्वरूप से भिन्न हो; अथवा
 - (ख) विनिमय के परिणामस्वरूप, लेनदेन के परिवर्तनों से प्रतिष्ठान के किसी अंश का प्रतिष्ठान से जुड़ा विशेष मूल्य प्रभावित होता हो; और
 - (ग) विनिमय की गयी आस्तियों के उचित मूल्य के सम्बन्ध में (क) अथवा (ख) का अन्तर महत्वपूर्ण हो।

यह निर्णय करने के लिए कि किसी विनिमय लेनदेन में वाणिज्यिक तत्व है अथवा नहीं, उस लेनदेन से प्रभावित प्रतिष्ठान के परिचालनों के किसी अंश के लिए प्रतिष्ठान-विशेष के वाणिज्यिक तत्व नकदी प्रवाहों की कर पश्चात् की स्थिति को दर्शायेगा। प्रतिष्ठान विशेष की विस्तृत गणना किये बिना ही इन विश्लेषणों का परिणाम स्पष्ट हो जाएगा।

47. अनुच्छेद 21 (ख) में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी अमूर्त आस्ति की मान्यता के लिए शर्त है कि उससे आस्ति की लागत का माप विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। अमूर्त आस्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है यदि (क) उस आस्ति के तर्कसंगत उचित मूल्य अनुमानों की मापों में परिवर्तनीयता महत्वपूर्ण न हो, अथवा (ख) सीमा के अंदर विविध प्राक्कलनों की संभावनाओं का तर्कसंगत रूप से मूल्यांकन किया जा सकता हो और उचित मूल्य के माप में उसका प्रयोग किया जा सकता हो। यदि कोई प्रतिष्ठान प्राप्त आस्ति अथवा छोड़ी गयी आस्ति के उचित मूल्य का विश्वसनीय ढंग से माप करने में समर्थ हो तो छोड़ी गयी आस्ति का उचित मूल्य लागत का माप करने में इस्तेमाल किया जाता है जब तक कि प्राप्त आस्ति के उचित मूल्य का स्पष्ट साक्ष्य न हो।

आन्तरिक रूप से सृजित ख्याति (गुडविल)

48. आन्तरिक रूप से सृजित ख्याति को आस्ति नहीं माना जायेगा ।

49. कुछ मामलों में, भावी आर्थिक लाभों को सृजित करने के लिए, खर्च किया जाता है परन्तु इससे ऐसी अमूर्त आस्ति का सृजन नहीं होता जो इस मानक के मानदण्डों के अनुसार मान्य हो । ऐसे खर्च को प्रायः आन्तरिक रूप से सृजित ख्याति में योगदान देने के लिए वर्णन किया जाता है। आन्तरिक रूप से सृजित ख्याति को आस्ति के रूप में नहीं माना जाता क्योंकि यह प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित पहचान योग्य ऐसा संसाधन नहीं है (अर्थात् न तो इसे अनुबंध अथवा अन्य विधिक अधिकारों से पृथक किया जा सकता है और न ही यह उनसे उद्भूत होता है) जिसे विश्वसनीय ढंग से लागत पर मापा जा सकता हो ।
50. किसी भी समय किसी प्रतिष्ठान के उचित मूल्य तथा उसकी पहचान योग्य शुद्ध आस्तियों की अग्रणीत राशि के बीच का अन्तर अपने भीतर कई ऐसे तत्वों को समाविष्ट किए हो सकता है जो प्रतिष्ठान के उचित मूल्य को प्रभावित करता हो । तथापि, ऐसे अन्तर प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित अमूर्त आस्तियों की लागत को निरूपित नहीं करता है।

आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियां

51. कई बार निम्नलिखित कारणों से यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि आन्तरिक रूप से सृजित कोई अमूर्त आस्ति ऐसी माने जाने योग्य है अथवा नहीं:

- (क) इस बात की पहचान करना कि आन्तरिक रूप से कौन सी अमूर्त आस्ति प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ प्रदान करेगी और वह कब करेगी; और
- (ख) विश्वसनीय ढंग से आस्ति की लागत का निर्धारण करना । कुछ मामलों में आन्तरिक रूप से किसी अमूर्त आस्ति की लागत को सृजित करने की प्रतिष्ठान की आन्तरिक रूप से सृजित ख्याति को बढ़ाने अथवा बनाये रखने की लागत अथवा किये जा रहे दैनन्दिन कार्य को अलग नहीं किया जा सकता ।

इसलिए, किसी अमूर्त आस्ति की मान्यता और प्रारम्भिक माप सम्बन्धी सामान्य अपेक्षाओं के साथ साथ कोई प्रतिष्ठान आन्तरिक रूप से सृजित सभी अमूर्त आस्तियों पर अनुच्छेद 52-67 की सभी अपेक्षाएं और मार्गनिर्देश लागू करता है।

52. आन्तरिक रूप से सृजित कोई अमूर्त आस्ति मान्यता के मानदण्ड पूरे करती है या नहीं, इस बात का अनुमान लगाने के लिए कोई प्रतिष्ठान आस्तियों के सृजन को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत करता है :

- (क) अनुसंधान चरण ; और
- (ख) विकास चरण

यद्यपि 'अनुसंधान' और 'विकास' शब्दों को परिभाषित किया गया है लेकिन 'अनुसंधान चरण' और 'विकास चरण' शब्दावली के अर्थ इस मानक के प्रयोजन के लिए और अधिक विस्तृत हैं।

53. यदि कोई प्रतिष्ठान अमूर्त आस्ति का सृजन करने की किसी आन्तरिक परियोजना में अनुसंधान के चरण को विकास के चरण से अलग नहीं कर पाता है तो वह प्रतिष्ठान इस परियोजना पर किए गए खर्च को ऐसा मानता है कि मानो वह केवल अनुसंधान पर किया गया खर्च था ।

अनुसंधान चरण

54. अनुसंधान (अथवा आन्तरिक परियोजना के अनुसंधान चरण से) से उद्भूत किसी अमूर्त आस्ति को मान्यता नहीं मिलेगी । अनुसंधान (अथवा आन्तरिक परियोजना के अनुसंधान के चरण) पर किए गए किसी खर्च को खर्च के रूप में माना जायेगा ।
55. किसी आन्तरिक परियोजना के अनुसंधान चरण में कोई प्रतिष्ठान यह प्रदर्शित नहीं कर सकता कि एक ऐसी अमूर्त आस्ति विद्यमान है जिससे संभावित भावी आर्थिक लाभों का सृजन होगा । इसलिए इस खर्च को खर्च के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब यह कर दिया जाता है ।
56. अनुसंधान गतिविधियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :
- (क) जिन गतिविधियों का उद्देश्य नया ज्ञान प्राप्त करना हो ;
 - (ख) अनुसंधान निष्कर्षों के प्रयोगों अथवा अन्य जानकारी के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन और अन्तिम चयन;
 - (ग) सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, कार्य प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए विकल्पों की अनुसंधान ; और
 - (घ) नवीन अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, कार्य प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए संभावित विकल्प बनाने, डिजाइन करने, मूल्यांकन करने और उनका अन्तिम चयन करने के लिए ।

विकास चरण

57. विकास (अथवा आन्तरिक परियोजना के विकास संबंधी चरण) से उद्भूत किसी अमूर्त आस्ति को तब मान्यता दी जायेगी जब वह प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी को प्रदर्शित कर सकेगा : -
- (क) अमूर्त आस्ति की तकनीकी व्यवहार्यता को पूरा करना ताकि वह प्रयोग अथवा बिक्री के लिए उपलब्ध हो ।
 - (ख) अमूर्त आस्ति और उसके प्रयोग अथवा विक्रय की उसकी इच्छा को पूरा करना ।
 - (ग) अमूर्त आस्ति के प्रयोग अथवा विक्रय की उसकी क्षमता ।

- (घ) अमूर्त आस्ति किस प्रकार संभावित भावी आर्थिक लाभ सृजित करेगी । अन्य बातों के साथ साथ प्रतिष्ठान अमूर्त आस्ति के उत्पादन (आउट पुट) अथवा अमूर्त आस्ति के लिए बाजार अथवा अमूर्त आस्ति स्वयं के अस्तित्व को प्रदर्शित कर सकता है अथवा यदि उसका प्रयोग आन्तरिक रूप से किया जाना हो तो अमूर्त आस्ति की उपयोगिता भी दर्शा सकता है।
- (ङ) अमूर्त आस्ति के विकास तथा उसके प्रयोग अथवा विक्रय को पूरा करने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता ।
- (च) अमूर्त आस्ति के विकास के दौरान, उसपर किए जाने वाले खर्च को विश्वनीय रूप से मापने की इसकी योग्यता ।
58. किसी आन्तरिक परियोजना के विकास के दौरान, कोई प्रतिष्ठान कुछ मामलों में किसी अमूर्त आस्ति की पहचान कर सकता है और यह दर्शा सकता है कि वह आस्ति सम्भावित भावी आर्थिक लाभों का सृजन करेगी । ऐसा इसलिए है क्योंकि परियोजना का विकास चरण अनुसंधान चरण से और अधिक विकसित होता है।
59. विकास सम्बन्धी गतिविधियों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं :
- (क) उत्पादन पूर्व अथवा उपयोग पूर्व प्रोटोटाइप अथवा नमूनों का डिजाइन, निर्माण और उनकी जाँच ;
- (ख) नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उपकरणों, औजारों, सांचों और डाइयों का डिजाइन;
- (ग) किसी प्रायोगिक संयंत्र का डिजाइन, निर्माण और परिचालन जो वाणिज्यिक उत्पादन के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य पैमाने का न हो ; और
- (घ) नयी अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, कार्य प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए चुने हुए विकल्पों का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण ।
60. भविष्य में कोई अमूर्त आस्ति किस प्रकार संभावित भावी आर्थिक लाभों का सृजन करेगी, यह दिखाने के लिए कोई प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता* में यथावर्णित सिद्धांतों का उपयोग करते हुए आस्ति से होने वाले भावी आर्थिक लाभों का अनुमान लगाता है। यदि वह आस्ति केवल अन्य आस्तियों के संयोजन से ही आर्थिक लाभों का सृजन करती हो तो वह प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 36, में यथावर्णित नकदी सृजन इकाइयों की अवधारणा को लागू करेगा ।
61. किसी अमूर्त आस्ति से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को पूरा करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई व्यवसाय योजना आवश्यक उदाहरण के लिए, तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधनों को दिखाकर, उन संसाधनों को प्राप्त करने की प्रतिष्ठान की क्षमता को दिखाने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में, कोई प्रतिष्ठान योजना विशेष के लिए किसी ऋण दाता की ऋण देने की इच्छा जताकर बाह्य वित्त की उपलब्धता दिखा देता है।

62. किसी प्रतिष्ठान की लागत प्रणाली प्रायः आन्तरिक रूप से किसी अमूर्त आस्ति के सृजन की लागत को विश्वसनीय रूप से माप सकती है जैसे कि वेतन तथा कॉपीराइट अथवा लाइसेंस प्राप्त करने अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित करने पर खर्च किया गया अन्य व्यय ।
63. आन्तरिक रूप से सृजित ब्राण्ड, नाम के लिखने की शैली, प्रकाशन शीर्ष, ग्राहकों की सूचियां तथा तत्त्वतः इसी प्रकार की अन्य मदें अमूर्त आस्तियां नहीं मानी जाएंगी ।
64. आन्तरिक रूप से सृजित ब्राण्ड, नाम के लिखने की शैली, प्रकाशन शीर्ष, ग्राहकों की सूचियां तथा तत्त्वतः इसी प्रकार की अन्य मदों पर हुए खर्च को व्यवसाय के समग्र विकास की लागत से अलग नहीं किया जा सकता । इसलिए, ऐसी मदों को अमूर्त आस्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता ।

आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्ति की लागत

65. अनुच्छेद 24 के प्रयोजन के लिए, आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्ति की लागत उस तारीख से किए गए व्यय की राशि है जब अमूर्त आस्ति अनुच्छेद 21, 22 और 57 में उल्लिखित मान्यता के मानदण्डों को पहली बार पूरा करती है। अनुच्छेद 71 पूर्व में मान्य व्यय को पुनः व्यय के रूप में वर्णित करने से निषेध करता है।
66. आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्ति की लागत में, वे सभी प्रत्यक्ष जुड़ी हुई लागतें निहित हैं जो प्रबन्धन द्वारा वांछित ढंग से आस्ति का सृजन, उत्पादन और उसे तैयार करने के लिए आवश्यक हैं । प्रत्यक्ष रूप से वांछित लागतों के उदाहरण इस प्रकार हैं :
- (क) अमूर्त आस्ति का सृजन करने के लिए प्रयोग में लाई गई सामग्रियां और सेवाओं की लागतें ;
- (ख) अमूर्त आस्तियों के सृजन से उत्पन्न कर्मचारी लाभों की लागतें [भारतीय लेखा मानक 19 में यथापरिभाषित] ;
- (ग) वैध अधिकार को पंजीकृत कराने के लिए शुल्क ; और
- (घ) अमूर्त आस्ति के सृजन के लिए प्रयुक्त पेटेंट तथा लाइसेंसों का परिशोधन ।
- भारतीय लेखा मानक 23 में आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्ति की लागत के तत्व के रूप में ब्याज की मान्यता के मानदण्ड का उल्लेख है।
67. आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों की लागत के निम्नलिखित घटक नहीं हैं :
- (क) विक्रय, प्रशासनिक तथा अन्य उपरि व्यय, जब तक कि वह व्यय उस आस्ति को प्रयोग में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध न हों ;
- (ख) आस्ति के योजनागत कार्य-निष्पादन स्थिति प्राप्त करने से पूर्व पहचानी गई अकुशलताएं और प्रारम्भिक परिचालन हानियां; और

(ग) आस्ति के परिचालन के लिए स्टाफ के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय ।

दृष्टांत उदाहरण — अनुच्छेद 65

एक प्रतिष्ठान नयी उत्पादन प्रक्रिया विकसित कर रहा है। 20X5 के दौरान किया गया व्यय 1,000 रुपये था जिसमें से 900 रुपये का व्यय 1 दिसम्बर 20X5 से पहले किया गया और शेष 100 रुपये का खर्च 1 दिसम्बर 20X5 तथा 31 दिसम्बर 20X5 के बीच किया गया। प्रतिष्ठान यह दर्शाने में सक्षम है कि उसने 1 दिसम्बर 20X5 को अमूर्त आस्ति की मान्यता के मानदण्डों को उत्पादन प्रक्रिया के लिए पूरा किया है। प्रक्रिया में अंतर्निहित जानकारी की वसूली योग्य राशि (कार्य विधि के प्रयोग के लिए उपलब्ध होने से पूर्व भावी नकदी (बहिः प्रवाहों सहित) 500 रुपये रहने का अनुमान है।

20X5 के अन्त में उत्पादन प्रक्रिया को 100 रुपये की लागत पर (उस तारीख से किया गया व्यय जब मान्यता के मानदण्ड पूरे हुए अर्थात् 1 दिसम्बर 20X5) अमूर्त आस्ति माना जा रहा है। 1 दिसम्बर 20X5 से पूर्व किये गये रुपये 900 के व्यय को व्यय माना जा रहा है क्योंकि 1 दिसम्बर 20X5 तक मान्यता के मानदण्ड पूरे नहीं हुए थे। यह व्यय तुलनपत्र में मान्य उत्पादन प्रक्रिया की लागत का भाग नहीं है।

20X6 के दौरान किया गया व्यय 2,000 रुपये हैं। 20X6 के अन्त में, प्रक्रिया में अंतर्निहित तकनीकी जानकारी की वसूली योग्य राशि (प्रक्रिया के प्रयोग के लिए उपलब्ध होने से पूर्व भावी नकदी प्रवाहों सहित) 1,900 रुपये रहने का अनुमान है।

20X6 के अंत में उत्पादन प्रक्रिया की लागत 2,100 रुपये है (20X5 के अन्त में मान्य 100 रुपये का व्यय जमा 20X6 में मान्य 2,000 रुपये का व्यय)। वह प्रतिष्ठान अपनी वसूली योग्य राशि (1,900 रुपये) में क्षतिग्रस्तता हानि (2,100 रुपये) की अग्रणीत राशि के समायोजन के लिए 200 रुपये की क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता प्रदान करता है। यह क्षतिग्रस्तता हानि उत्तरवर्ती अवधि में उलटा दी जायेगी बशर्ते भारतीय लेखा मानक 36 में क्षतिग्रस्तता हानि को उलटाने की आवश्यकता हो।

व्यय की मान्यता

68. अमूर्त मदों पर किया गया व्यय तब तक मान्य व्यय नहीं माना जाएगा जब तक कि वह :

(क) ऐसी अमूर्त आस्ति की लागत का भाग न हो जो मान्यता के मानदण्ड पूरे करती है (देखें अनुच्छेद 18-67) ; अथवा

(ख) वह मद किसी व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहीत न की गयी हो और उसे अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता न दी जा सकती हो। यदि ऐसी स्थिति हो तो वह मद अधिग्रहण की तारीख को ख्याति (गुडविल) के रूप में मान्य राशि का अंग होगी (देखें भारतीय लेखा मानक 103) ।

69. कुछ मामलों में, किसी प्रतिष्ठान को भावी आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए व्यय किया जाता है परन्तु ऐसी कोई अमूर्त आस्ति या अन्य आस्ति अधिग्रहीत अथवा सृजित नहीं की जाती जिसे मान्यता प्रदान की जा सके। वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में प्रतिष्ठान ऐसे व्यय को तब व्यय के रूप में मान्यता प्रदान

करता है जब उसे इन वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार हो । सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, प्रतिष्ठान उस व्यय को तब व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करता है जब उसे सेवाएं प्राप्त हो जाएं । उदाहरण के लिए, अनुसंधान पर किया गया व्यय तब व्यय माना जाता है जब वह व्यय कर दिया जाये (देखें अनुच्छेद 54) सिवाए उस स्थिति के जब उसे व्यावसायिक संयोजन के अंग के रूप में प्राप्त किया जाता है। किए गए व्यय को व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करने के अन्य उदाहरणों में शामिल हैं :

- (क) प्रारम्भिक गतिविधियों पर तब तक किया गया व्यय (अर्थात् प्रारम्भिक लागतें), जब तक यह व्यय भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की लागत में शामिल न हों । प्रारम्भिक लागतों में, स्थापना सम्बन्धी लागतें शामिल हो सकती हैं जैसे कि विधिक अथवा सचिवीय लागतें जो विधिक प्रतिष्ठान को स्थापित करने, नयी सुविधा अथवा व्यवसाय प्रारम्भ करने पर किए गए व्यय (अर्थात् प्रारम्भ से पूर्व की लागतें) अथवा नया परिचालन प्रारम्भ करने पर अथवा नये उत्पादों की शुरुआत पर अथवा प्रक्रियाओं पर किया गया व्यय (जैसे परिचालन पूर्व लागतें) ।
- (ख) प्रशिक्षण गतिविधियों पर व्यय ।
- (ग) विज्ञापन एवं संवर्द्धन गतिविधियों (डाक आदेश सूचियों सहित) पर किया गया व्यय ।
- (घ) प्रतिष्ठान के किसी एक हिस्से को अथवा पूरे प्रतिष्ठान को दूसरे स्थान पर ले जाने अथवा उसके पुनर्गठन पर किया गया व्यय ।

69क. यदि कोई प्रतिष्ठान किन्हीं वस्तुओं का स्वामी हो तो उन वस्तुओं को प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है। इसी प्रकार जब किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी आपूर्ति की अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं का निर्माण किया गया हो तो तब भी उन वस्तुओं को प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है और वह प्रतिष्ठान भुगतान करके उनकी सुपुर्दगी की मांग कर सकता है। इस प्रतिष्ठान को सेवाएं तब प्राप्त होती हैं जब आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुबंध के अनुसार उन्हें निष्पादित करके प्रतिष्ठान को सुपुर्द कर दी जाए न कि वह किसी अन्य सेवा की सुपुर्दगी के लिए प्रयोग करे । उदाहरण के लिए, ग्राहकों को कोई विज्ञापन सुपुर्द करना ।

70. अनुच्छेद 68 किसी प्रतिष्ठान को किसी पूर्व भुगतान को आस्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने से निवारित नहीं करता जब वस्तुओं के लिए किया गया भुगतान उस प्रतिष्ठान को उन वस्तुओं तक पहुँचने का अधिकार प्रदान करने के लिए अग्रिम के रूप में किया गया हो । इसी प्रकार अनुच्छेद 68 किसी प्रतिष्ठान को किसी आस्ति को पूर्व भुगतान हेतु मान्यता प्रदान करने से निवारित नहीं करता जब सेवाओं के लिए किया गया भुगतान उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अग्रिम के रूप में किया गया हो ।

विगत व्ययों की आस्ति के रूप में अमान्यता

71. जिस अमूर्त मद पर हुए खर्च को प्रारम्भ में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गयी थी उसे बाद की किसी तारीख को किसी अमूर्त आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी ।

मान्यता के पश्चात् माप

72. कोई प्रतिष्ठान या तो अनुच्छेद 74 में वर्णित लागत मॉडल का चयन करेगा या अनुच्छेद 75 में वर्णित पुनर्मूल्यांकन मॉडल का चयन अपनी लेखा नीति के लिए करेगा। यदि पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करते हुए किसी अमूर्त आस्ति का लेखा किया गया हो तो उस श्रेणी की अन्य सभी आस्तियों का लेखा भी उसी मॉडल का प्रयोग करते हुए किया जाएगा जब तक कि उन आस्तियों के लिए कोई सक्रिय बाजार न हो।
73. अमूर्त आस्तियों की श्रेणी एक ही किस्म की आस्तियों का ऐसा समूह है जिसका प्रयोग प्रतिष्ठान के कार्यों में किया जाता है। अमूर्त आस्तियों की एक ही श्रेणी की वस्तुओं का पुनर्मूल्यांकन एक साथ किया जाता है ताकि कुछ खास चुनी हुई आस्तियों का मूल्यांकन न हो और वित्तीय विवरणों में राशियों की भिन्न-भिन्न रिपोर्टिंग न हो और विभिन्न तारीखों पर उनकी लागतों और मूल्यों का मिश्रण-सा न दिखाई दे।

लागत मॉडल

74. प्रारम्भिक मान्यता के बाद, किसी अमूर्त आस्ति को किसी संचित परिशोधन मूल्य तथा संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को घटाकर उसकी लागत पर आगे ले जाया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन मॉडल

75. प्रारम्भिक मान्यता के बाद, किसी अमूर्त आस्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर आगे ले जाया जायेगा जो पुनर्मूल्यांकन की तारीख को उसका उचित मूल्य होगी जिसमें से उत्तरवर्ती कोई भी संचित परिशोधन मूल्य तथा संचित क्षतिग्रस्तता हानियां घटा दी जाएंगी। इस मानक के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन के प्रयोजन से सक्रिय बाजार के संदर्भ में उचित मूल्य का माप किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन ऐसी नियमितता के साथ किए जाएंगे कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्ति की अग्रणीत राशि अपने उचित मूल्य से कोई विशेष भिन्न न हो।
76. पुनर्मूल्यांकन मॉडल निम्नलिखित की अनुमति नहीं देता :
- (क) उन अमूर्त आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन जिन्हें पहले आस्तियों के रूप में नहीं माना गया है; अथवा
- (ख) अमूर्त आस्तियों की लागत से भिन्न राशियों पर प्रारंभिक मान्यता।
77. पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग किसी आस्ति की प्रारंभिक लागत पर प्रारंभिक मान्यता के बाद किया जाता है। बहरहाल, यदि किसी अमूर्त आस्ति की लागत के केवल एक भाग को ही आस्ति के रूप में मान्यता दी गयी हो क्योंकि वह आस्ति तब तक मान्यता के मानदण्डों को पूरा नहीं करती थी जब तक उसका कोई भाग इस प्रक्रिया में से न गुजरा हो (देखें अनुच्छेद 65) तो पुनर्मूल्यांकन मॉडल को पूरी आस्ति पर लागू किया जा सकता है।

78. एक अमूर्त आस्ति के लिए एक सक्रिय बाजार हो, यह असामान्य है, फिर भी, ऐसा हो भी सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ कार्यक्षेत्रों में मुक्त रूप से हस्तांतरणीय टैक्सी लाइसेंस, मछली पकड़ने के लाइसेंस अथवा उत्पादन कोटा के लिए सक्रिय बाजार मौजूद हो सकता है। बहरहाल, ब्राण्डों, समाचार पत्रों के नाम लिखने की शैलियों, संगीत तथा फ़िल्म प्रकाशन अधिकारों, पेटेंटों और ट्रेड मार्कों के लिए सक्रिय बाजार मौजूद नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी प्रत्येक आस्ति अपने आप में अलग होती है। साथ ही, यद्यपि अमूर्त आस्तियां खरीदी और बेची जाती हैं, अलग-अलग क्रेताओं और विक्रेताओं में अनुबंधों का मोलभाव होता है और लेनदेन अपेक्षाकृत यदा-कदा होते हैं। इन कारणों से एक आस्ति के लिए दिया गया मूल्य दूसरी आस्ति के उचित मूल्य के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करता। इसके अतिरिक्त, प्रायः जनता को इनके मूल्य उपलब्ध नहीं होते ।
79. पुनर्मूल्यांकनों का बार-बार होना पुनर्मूल्यांकित होने वाली अमूर्त आस्तियों के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। यदि पुनर्मूल्यांकित आस्ति का उचित मूल्य उसकी अग्रणीत राशि से बहुत अधिक अलग हो तो एक बार और पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। कुछ अमूर्त आस्तियों के उचित मूल्य में महत्वपूर्ण तथा विशेष घट-बढ़ हो सकते हैं जिसके कारण उनका वार्षिक पुनर्मूल्यांकन जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से जिन अमूर्त आस्तियों के उचित मूल्य में विशेष घटबढ़ न होती हो, उनका पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होती ।
80. जब किसी अमूर्त आस्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकन राशि में उस आस्ति की अग्रणीत राशि समायोजित की जाती है। पुनर्मूल्यांकन की तिथि को आस्ति को निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से समायोजित किया जाता है:
- (क) सकल अग्रणीत राशि का समायोजन इस ढंग से किया जाता है जो कि आस्ति की अग्रणीत राशि के पुनर्मूल्यांकन की तरह है। उदाहरणस्वरूप, सकल अग्रणीत राशि प्रलक्षणीय बाजार आंकड़ों के संदर्भ में पुनर्कथित (पुनर्वणित) किया जा सकता है या वह अग्रणीत राशि में समानुपातिक परिवर्तन के अनुसार पुनर्कथित (पुनर्वणित) किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन की तिथि को संचित परिशोधन इस तरह से समायोजित किया जाता है कि सकल अग्रणीत राशि और संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को ध्यान में रखते हुए आस्ति की अग्रणीत राशि के अन्तर के समान हो; अथवा
- (ख) आस्ति की सकल अग्रणीत राशि के विरुद्ध संचित परिशोधन को विलुप्त कर दिया जाता है। संचित परिशोधन की समायोजन राशि अग्रणीत राशि की वृद्धि या कमी का भाग बनती है जिसका लेखा अनुच्छेदों 85 व 86 द्वारा किया जाता है ।
81. यदि पुनर्मूल्यांकित अमूर्त आस्तियों की किसी श्रेणी में से किसी एक अमूर्त आस्ति को इसलिए पुनर्मूल्यांकित नहीं किया जा सकता हो क्योंकि उसके लिए कोई सक्रिय बाजार नहीं है तो उस आस्ति को उसकी लागत में से संचित परिशोधन तथा क्षतिग्रस्तता हानियों को घटाकर उसकी लागत पर आगे ले जाया जायेगा ।
82. यदि किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति के उचित मूल्य को उसके सक्रिय बाजार के संदर्भ में मापा जाना अब संभव न हो तो उसकी अग्रणीत राशि सक्रिय बाजार के संदर्भ में कोई उत्तरवर्ती संचित परिशोधन तथा

कोई उत्तरवर्ती संचित क्षतिग्रस्तता हानियां घटाकर उसके पिछले मूल्यांकन की तारीख को उसका पुनर्मूल्यांकित मूल्य होगा ।

83. किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति के लिए अब किसी सक्रिय बाजार के मौजूद न होने का तथ्य यह संकेत करता है कि वह आस्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है और भारतीय लेखा मानक 36, के अनुसार उसकी जाँच करना जरूरी है।
84. यदि किसी आस्ति के उचित मूल्य का माप किसी बाद की मापन तारीख को सक्रिय बाजार के संदर्भ में किया जा सकता हो, तो उस तारीख से पुनर्मूल्यांकन मॉडल लागू किया जायेगा ।
85. यदि पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप किसी अमूर्त आस्ति की अग्रणीत राशि बढ़ जाती है तो उस वृद्धि को अन्य व्यापक आय में माना जाएगा तथा पुनर्मूल्यांकन आधिक्य शीर्ष के अन्तर्गत इक्विटी के अधीन उसे संचित किया जायेगा ।
86. यदि किसी अमूर्त आस्ति की अग्रणीत राशि पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप घट जाती है तो उस कमी को लाभ अथवा हानि माना जाएगा । लेकिन, उस आस्ति के सम्बन्ध में उस कमी को पुनर्मूल्यांकन आधिक्य के किसी भी क्रेडिट शेष की सीमा तक अन्य व्यापक आय में माना जाएगा । अन्य व्यापक आय में मान्य कमी पुनर्मूल्यांकन आधिक्य शीर्ष के अन्तर्गत इक्विटी की संचित राशि में कमी लाती है।
87. जब आधिक्य की वसूली हो जाये तो 'इक्विटी' में सम्मिलित संचयी पुनर्मूल्यांकन आधिक्य को सीधे ही प्रतिधारित अर्जन में अंतरित किया जाएगा । आस्ति के विमोचन अथवा निपटान के समय पूरे आधिक्य की वसूली की जायेगी । लेकिन, जब प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति का प्रयोग किया जाता है तो आधिक्य का कुछ भाग वसूल किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में, वसूल किया गया आधिक्य, आस्ति की पुनर्मूल्यांकित अग्रणीत राशि पर आधारित परिशोधन तथा आस्ति की ऐतिहासिक लागत पर आधारित मान्य परिशोधन राशि का अन्तर होगा । पुनर्मूल्यांकन आधिक्य से प्रतिधारित अर्जन में राशि का हस्तांतरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से नहीं किया जायेगा ।

उपयोगी जीवन-काल

88. प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या किसी अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवनकाल सीमित है अथवा असीमित है। यदि वह सीमित है तो उस उपयोगी जीवन-काल का निर्धारण करने वाली उत्पादन यूनिटों अथवा किन्हीं अन्य यूनिटों की संख्या अथवा उपयोगी जीवन-काल की अवधि स्पष्ट की जायेगी। प्रतिष्ठान द्वारा किसी अमूर्त आस्ति को उस परिस्थिति में असीमित उपयोगी जीवन-काल वाली कहा जायेगा जब सभी संबंधित तत्वों के विश्लेषण के आधार पर पहले से ऐसी कोई समय सीमा न निश्चित की जा सके जिसके दौरान वह आस्ति उस प्रतिष्ठान के लिए शुद्ध नकदी प्रवाह अर्जित करेगी।
89. किसी अमूर्त आस्ति का लेखांकन उसके उपयोगी जीवन-काल पर आधारित होता है। अंतकालीन उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति परिशोधित की जाती है (देखें अनुच्छेद 97-106) जबकि अनंत जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति परिशोधित नहीं की जाती (देखें अनुच्छेद 107-110) ।

90. अमूर्त आस्ति के जीवन-काल का निर्धारण करने के लिए अनेक तत्वों पर विचार किया जाता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- (क) प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति का कितना प्रयोग होगा तथा क्या कोई अन्य प्रबन्धन टीम उस आस्ति का कुशलतापूर्वक प्रबन्ध कर सकती है;
 - (ख) विशिष्ट उत्पाद के रूप में आस्ति का जीवन चक्र तथा इसी प्रकार की अन्य आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन-काल के संबंध में सार्वजनिक सूचना का उपयोग भी इसी तरह किया जाता है;
 - (ग) तकनीकी, प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक अथवा अन्य किस्म के अप्रचलन;
 - (घ) उस उद्योग की स्थिरता जिसमें यह आस्ति कार्य करती है तथा आस्ति से उद्भूत उत्पादों अथवा सेवाओं की बाजार माँग में परिवर्तन ;
 - (ङ) प्रतियोगी अथवा सम्भावित प्रतियोगियों की ओर से प्रत्याशित कार्रवाई ;
 - (च) आस्ति से भविष्य में संभावित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख-रखाव के खर्च का स्तर और उस स्तर पर पहुँचने की प्रतिष्ठान की योग्यता एवं मंशा;
 - (छ) आस्ति पर नियंत्रण की अवधि तथा आस्ति के प्रयोग पर कानूनी अथवा उसी प्रकार की अन्य सीमाएँ जैसे कि संबंधित पट्टों की अवधि की समापन तिथियाँ; और
 - (ज) यह भी कि क्या आस्ति का उपयोगी जीवन-काल प्रतिष्ठान की अन्य आस्तियों के जीवन-काल पर निर्भर करता है।
91. 'अनिश्चित' शब्द का अर्थ 'अनन्त' नहीं है। अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवन-काल यह दर्शाता है कि उसके उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण करते समय उसके कार्य निष्पादन का स्तर बनाए रखने के लिए अपेक्षित व्यय के भावी रख-रखाव का स्तर क्या होगा तथा उस स्तर पर पहुँचने की प्रतिष्ठान की योग्यता तथा मंशा क्या होगी । आस्ति को कार्यनिष्पादन के स्तर पर बनाये रखने के लिए अपेक्षित व्यय से अधिक योजनागत भावी व्यय इस बात के निष्कर्ष पर निर्भर नहीं करेगा कि अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवन-काल अनिश्चित है।
92. प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा अन्य ऐसी बहुत-सी अमूर्त आस्तियों में तेज़ी से हो रहे परिवर्तनों के इतिहास को देखते हुए प्रौद्योगिकी पुरानी हो सकती हैं। अतः यह वह मामला हो सकता है कि उनका उपयोगी जीवन काल (कार्यकाल) छोटा हो एक अमूर्त आस्ति का प्रयोग करते हुए जब एक आस्ति का उत्पादन किया जाता है तो उसकी बिक्री कीमत में प्रत्याशित भावी कटौतियाँ इस बात का संकेत देती हैं कि आस्ति का प्रौद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशा क्या है। इससे आस्ति के भावी आर्थिक लाभों में कटौती प्रतिबिंबित होती है ।

93. किसी अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवन-काल बहुत लम्बा अथवा अनिश्चित भी हो सकता है। अनिश्चय की यह स्थिति किसी अमूर्त आस्ति के जीवन-काल का विवेकपूर्ण ढंग से अनुमान लगाने का औचित्य सिद्ध करती है परन्तु यह ऐसा जीवन-काल चुनने को उचित सिद्ध नहीं करती जो अब्यावहारिक ढंग से अल्पकालीन हो ।
94. जो अमूर्त आस्ति किसी अनुबंधात्मक अथवा कानूनी अधिकारों से उद्भूत होती है उसका उपयोगी जीवन-काल अनुबंधात्मक अथवा अन्य कानूनी अधिकारों की अवधि से अधिक नहीं हो सकता परन्तु उससे कम हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वह प्रतिष्ठान उस आस्ति को कितनी अवधि के लिए प्रयोग में लाने की आशा करता है। यदि अनुबंधात्मक अथवा अन्य कानूनी अधिकार एक ऐसी सीमित अवधि के लिए व्यक्त किए गए हैं और जिनका नवीकरण किया जा सकता है तो अमूर्त आस्तियों का जीवन-काल नवीकरण की अवधि (यों) को तभी शामिल करेगा यदि बिना किसी विशेष लागत के नवीकरण कराने के साक्ष्य मौजूद हों । किसी व्यावसायिक संयोजन में अमूर्त आस्ति के रूप में मान्य पुनः अर्जित अधिकारों का उपयोगी जीवन-काल उस अनुबंध की शेष अनुबंधात्मक अवधि होती है जिसमें अधिकार प्रदान किए गए थे और उसमें नवीकरण अवधि शामिल नहीं होगी ।
95. एक अमूर्त आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित करने के लिए आर्थिक तत्व भी हो सकते हैं और कानूनी भी । आर्थिक तत्व यह निर्धारित करते हैं कि प्रतिष्ठान को भावी आर्थिक लाभ कितनी अवधि के लिए मिलते रहेंगे । कानूनी तत्व उस अवधि को नियंत्रित कर सकते हैं जिसके दौरान वह प्रतिष्ठान उन लाभों को प्राप्त कर सकेगा । इन दोनों तत्वों से निश्चित होने वाली अवधि में से जो भी अवधि कम होगी वह उस अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवन-काल होगा ।
96. अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तत्वों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि वह प्रतिष्ठान बिना किसी विशेष लागत के अपने अनुबंधात्मक अथवा अन्य कानूनी अधिकारों का नवीकरण करने में समर्थ होगा:
- (क) संभवतः अनुभव के आधार पर, इस बात का साक्ष्य हो कि अनुबंधात्मक अथवा कानूनी अधिकारों का नवीकरण हो जायेगा । यदि नवीकरण किसी तृतीय पक्ष की सहमति पर निर्भर करता है तो यह इस बात का साक्ष्य हो कि तृतीय पक्ष अपनी सहमति दे देगा;
- (ख) इस बात का साक्ष्य हो कि नवीकरण प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं वे पूरी हो जाएंगी; और
- (ग) नवीकरण पर होने वाली लागत प्रतिष्ठान के लिए कोई विशेष नहीं होगी जब उस नवीकरण से मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ उसकी तुलना में अधिक हों ।

यदि नवीकरण की लागत प्रतिष्ठान को नवीकरण से होने वाले भावी आर्थिक लाभों की तुलना में अधिक हो तो 'नवीकरण' लागत नवीकरण की तारीख को एक नयी अमूर्त आस्ति अर्जित करने की लागत का प्रतिनिधित्व करती है।

सीमित उपयोगी जीवन-काल की अमूर्त आस्तियां

परिशोधन अवधि एवं परिशोधन पद्धति

97. सीमित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति की मूल्यहास योग्य राशि व्यवस्थित आधार पर उसके उपयोगी जीवन-काल की अवधि के दौरान आवंटित की जायेगी। परिशोधन तब प्रारम्भ होगा जब वह आस्ति प्रयोग के लिए उपलब्ध हो अर्थात् जब वह प्रबन्धन द्वारा वांछित ढंग से परिचालन के योग्य स्थान और स्थिति में हो। जब भारतीय लेखा मानक 105, के अनुसार जिस तारीख को आस्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत (अथवा निपटान समूह में शामिल आस्ति जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है) किया जाता है और जिस तारीख को आस्ति की मान्यता समाप्त की जाती है इनमें से जो भी तारीख पहले होगी उस तारीख को परिशोधन समाप्त हो जायेगा। प्रयुक्त परिशोधन पद्धति यह बताती है कि किस ढंग से प्रतिष्ठान आस्ति के भावी आर्थिक लाभों का उपयोग करेगा। यदि इस पद्धति से निर्धारण विश्वसनीय ढंग से न किया जा सकता हो तो सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक अवधि का परिशोधन प्रभार तब तक लाभ अथवा हानि में माना जाएगा जब तक यह अथवा कोई अन्य मानक इस बात की अनुमति न दे अथवा अपेक्षा न करे कि उसे किसी अन्य आस्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाये।
98. किसी आस्ति के हास योग्य मूल्य को व्यवस्थित आधार पर उसके उपयोगी जीवन-काल में आवंटित करने के लिए अनेक परिशोधन पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। इन पद्धतियों में सीधी रेखा पद्धति, घटता शेष पद्धति और उत्पादन ईकाई पद्धति शामिल हैं। चयनित पद्धति आस्ति में निहित प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभों के प्रत्याशित उपभोग की पद्धति पर आधारित होती है और एक अवधि के बाद दूसरी अवधि के दौरान लगातार उसी पद्धति का प्रयोग किया जायेगा जब तक कि उन भावी आर्थिक लाभों के उपभोग की प्रत्याशित पद्धति में कोई परिवर्तन न हो।
- 98क यह एक खंडनीय मान्यता है कि परिशोधन विधि जोकि एक गतिविधि द्वारा सृजित राजस्व पर आधारित है जिसमें एक अमूर्त आस्ति का प्रयोग होता है, उचित नहीं है। अमूर्त आस्ति के प्रयोग के साथ गतिविधि द्वारा सृजित राजस्व सामान्यतया उन कारकों को प्रतिबिंबित करता है जो अमूर्त आस्ति में सन्निहित लाभों के उपभोग से सीधे संबंधित नहीं हैं। उदाहरणार्थ, राजस्व अन्य निविष्टियों व प्रक्रियाओं, बिक्री गतिविधियों व बिक्री की मात्राओं व कीमतों में परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होता है। राजस्व का कीमत घटक मुद्रास्फीति द्वारा प्रभावित होता है और इसका इस बात से कोई लेन-देन नहीं कि उस आस्ति का उपभोग किस प्रकार से होता है। इस मान्यता से ऊपर केवल सीमित परिस्थितियों में ही उठा जा सकता है जैसेकि:
- (क) जिसमें अमूर्त आस्ति, अनुच्छेद 98 ग के वर्णनानुसार राजस्व का एक माप के रूप में उल्लेख किया जाता है; या
- (ख) जब यह प्रदर्शित हो कि राजस्व व अमूर्त आस्ति के आर्थिक लाभों को उपभोग परस्पर पूरी तरह से जुड़े हैं।
- 98ख अनुच्छेद 98 के अनुसरण में एक उपयुक्त परिशोधन विधि के चयन में, एक प्रतिष्ठान उस प्रमुख प्रतिबंधित कारक का निश्चय कर सकता है जो अमूर्त आस्ति में अर्न्तनिहित हो। उदाहरणार्थ, एक अनुबंध जो प्रतिष्ठान के अमूर्त आस्ति के प्रयोग संबंधी अधिकारों को समय के अनुसार पूर्वनिर्धारित वर्षों की

संख्या में विनिर्दिष्ट करता है। यानि कितनी ईकाइयां पैदा की गयी या कितना कुल राजस्व हुआ। इस प्रमुख प्रतिबिंबित कारक की पहचान परिशोधन के उपयुक्त आधार की पहचान का प्रारंभिक बिन्दु हो सकता है। लेकिन अन्य आधार का भी प्रयोग किया जा सकता है यदि आर्थिक लाभों के उपभोग का प्रत्याशित ढंग पैटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित कर सके।

98ग ऐसे हाल में, जिसमें राजस्व सीमा की निष्पत्ति ही वह प्रमुख सीमित कारक है, जो अमूर्त आस्ति में अन्तर्निहित है, वहाँ उत्पन्न किये जाने वाला राजस्व परिशोधन का उपयुक्त आधार हो सकता है। उदाहरणार्थ, एक प्रतिष्ठान एक सोने की खान में से सोने की खोज और उसे निकालने की रियायत ग्रहण कर सकता है। अनुबंध का समापन सोने के निकालने से सृजित (उत्पन्न) कुल राजस्व की नियत राशि पर आधारित हो सकता है। (उदाहरणार्थ, एक अनुबंध खान में से सोने को निकालने की अनुमति तब तक देता है जब तक सोने की बिक्री से प्राप्त संचित राजस्व 2 बिलियन तक नहीं पहुंच जाता) और वह न तो समय पर आधारित होता और न ही निकाले गये सोने की मात्रा पर। एक दूसरे उदाहरण में, एक टॉल सड़क के परिचालन का अधिकार कुल नियत राजस्व पर आधारित हो सकता है जो संचयी रूप से उगाहा जाना है (उदाहरणतया, एक अनुबंध टॉल सड़क के परिचालन की अनुमति तब तक देता है जब तक उगाही को जाने वाली राशि संचित रूप से 100 मिलियन रुपये तक पहुंच नहीं जाती)। ऐसे मामले में, जिसमें राजस्व को ही अनुबंध में अमूर्त आस्ति के प्रयोग के लिए मुख्य सीमा कारक के रूप में स्थापित किया गया है, सृजित किये जाने वाला राजस्व अमूर्त आस्ति के परिशोधन का उपयुक्त आधार हो सकता है, बशर्ते अनुबंध यह विनिर्दिष्ट करे कि कितनी राजस्व राशि सृजित की जानी है जिस पर परिशोधन का निर्धारण किया जाए।

99. प्रायः लाभ अथवा हानि में परिशोधन को मान्य किया जाता है। बहरहाल, कभी-कभी किसी आस्ति में निहित भावी आर्थिक लाभ किसी अन्य आस्ति के उत्पादन में प्रयोग कर लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में परिशोधन प्रभार किसी अन्य आस्ति की लागत का अंग बन जाते हैं और उन्हें अग्रणीत राशि में शामिल कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त अमूर्त आस्तियों के परिशोधन को सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है [देखें भारतीय लेखा मानक 2, सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्रीज)]

अवशिष्ट मूल्य

100. सीमित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति के अवशिष्ट मूल्य को तब तक शून्य माना जाता है जब तक:

(क) किसी तृतीय पक्ष ने आस्ति के उपयोगी जीवन-काल की समाप्ति पर उसे खरीदने की प्रतिबद्धता व्यक्त न की हो ; अथवा

(ख) आस्ति के लिए सक्रिय बाजार (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 113, में परिभाषित) न हो; और

(i) उस बाजार के संदर्भ में शेष मूल्य का निर्धारण किया जा सकता हो ; और

(ii) इस बात की संभावना हो कि आस्ति के उपयोगी जीवन-काल के अंत में ऐसा बाज़ार मौजूद रहेगा ।

101. निश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली आस्ति की ह्रासमान राशि अवशिष्ट मूल्य धटाकर निर्धारित की जाती है। यदि अवशिष्ट मूल्य शून्य से अतिरिक्त कुछ और हो तो उसका यह अर्थ होता है कि प्रतिष्ठान को यह आशा है कि वह अमूर्त आस्ति के अंत से पूर्व उसका निपटान कर देगा ।
102. आस्ति के अवशिष्ट मूल्य का अनुमान उसी किस्म की ऐसी अन्य आस्ति के निपटान से वसूल होने वाला तथा उसकी बिक्री के अनुमानों पर आधारित होगा जो अपना उपयोगी जीवन-काल समाप्त कर चुका है और जिसने उन्हीं परिस्थितियों में कार्य किया है जिनमें मौजूदा आस्ति का उपयोग होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशिष्ट मूल्य की पुनरीक्षा की जायेगी । भारतीय लेखा मानक 8 *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलन एवं त्रुटियां* के अनुसार आस्ति के अवशिष्ट मूल्य में होने वाले परिवर्तन का लेखा किया जायेगा ।
103. अमूर्त आस्ति का अवशिष्ट मूल्य आस्ति की अग्रणीत राशि के बराबर अथवा उससे अधिक बढ़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो आस्ति का परिशोधन प्रभार तब तक शून्य होता है जबतक उसका अवशिष्ट मूल्य बाद में कम होकर आस्ति की अग्रणीत राशि से घट नहीं जाता ।

परिशोधन अवधि तथा परिशोधन पद्धति की समीक्षा

104. निश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति की परिशोधन अवधि तथा परिशोधन पद्धति की पुनरीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जायेगी । यदि आस्ति का संभावित उपयोगी जीवन-काल पिछले अनुमानों से भिन्न हो तो परिशोधन अवधि को तदनुसार बदल दिया जायेगा । यदि आस्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग की संभावित पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ हो तो परिशोधन पद्धति में परिवर्तन किया जायेगा ताकि उसमें से परिवर्तित तरीके का संकेत मिल सके । ऐसे परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार लेखा अनुमानों में हुए परिवर्तन माने जायेंगे ।
105. अमूर्त आस्ति के जीवन-काल के दौरान यह स्पष्ट हो जायेगा कि उसके उपयोगी जीवन-काल का अनुमान उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए, क्षतिग्रस्तता हानि की मान्यता यह संकेत देगी कि परिशोधन अवधि में परिवर्तन की आवश्यकता है।
106. समय के साथ-साथ, किसी अमूर्त आस्ति से प्रतिष्ठान को मिलने वाले भावी आर्थिक लाभों का तरीका बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट हो सकता है कि सीधी रेखा पद्धति के बजाय परिशोधन की ह्रासमान शेष पद्धति उपयुक्त है। एक और उदाहरण यह है कि, किसी लाइसेंस से मिलने वाले अधिकारों को व्यवसायिक योजना के अन्य घटकों के सम्बन्ध में कार्रवाई होने तक स्थगित रखा जाये । इस मामले में आस्ति से होने वाले आर्थिक लाभ संभवतः बाद की अवधि तक न मिलें ।

असीमित उपयोगी जीवन-काल की अमूर्त आस्तियां

107. अनिश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति का परिशोधन नहीं किया जायेगा ।
108. भारतीय लेखा मानक 36, के अनुसार किसी प्रतिष्ठान को किसी अमूर्त आस्ति की वसूली योग्य राशि की उसकी अग्रणीत राशि से तुलना करके उसके उपयोगी जीवन-काल की क्षतिग्रस्तता के लिए निम्नलिखित ढंग से जाँच करनी होती है :
- (क) वार्षिक आधार पर; और
- (ख) जब कभी इस बात के संकेत मिलें कि अमूर्त आस्ति में क्षतिग्रस्तता हो सकती है।

उपयोगी जीवन-काल के मूल्यांकन की समीक्षा

109. जिस अमूर्त आस्ति का परिशोधन न किया जाना हो उसके उपयोगी जीवन-काल की समीक्षा प्रत्येक अवधि में की जायेगी जिससे यह निश्चित किया जा सके कि क्या घटनाएं एवं परिस्थितियां उस आस्ति के अनिश्चित उपयोगी जीवन-काल का मूल्यांकन करने की पुष्टि करती हैं। यदि वे ऐसा नहीं करती तो उपयोगी जीवन-काल के मूल्यांकन को अनिश्चित से बदल कर निश्चित किया जाना भारतीय लेखा मानक 8, के अनुसार किया गया परिवर्तन माना जायेगा ।
110. भारतीय लेखा मानक 36, के अनुसार, किसी अमूर्त आस्ति के जीवन-काल को अनिश्चित के बदले निश्चित के रूप में पुनर्मूल्यांकित किया जाना इस बात का संकेत देता है कि आस्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक 36, के अनुसार निर्धारित करते हुए प्रतिष्ठान आस्ति की वसूली योग्य राशि की उसकी अग्रणीत राशि से तुलना करते हुए तथा वसूली योग्य राशि की किसी भी अग्रणीत राशि से अधिक राशि को क्षतिग्रस्तता हानि मानते हुए आस्ति की क्षतिग्रस्तता की जाँच कर सकती है।

अग्रणीत राशि की वसूली योग्यता — क्षतिग्रस्तता हानियां

111. कोई अमूर्त आस्ति क्षतिग्रस्त है अथवा नहीं इसका निर्णय करने के लिए कोई प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 36 को लागू करता है। यह मानक बताता है कि प्रतिष्ठान कब और कैसे अपनी आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा करता है और कब वह अपनी क्षतिग्रस्तता हानियों को मान्यता देता है अथवा उनको पलट देता है।

निवृत्ति एवं निपटान

112. अमूर्त आस्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में अमान्य कर दिया जायेगा:
- (क) निपटान पर; अथवा
- (ख) जब उसके उपयोग अथवा निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो ।

113. किसी अमूर्त आस्ति की अमान्यता से होने वाला लाभ अथवा हानि निपटान से मिलने वाली शुद्ध राशि, यदि कोई हो, तथा आस्ति की अग्रणीत राशि के अन्तर से निर्धारित होगी। जब आस्ति को अमान्य करार दे दिया जायेगा तो उसे लाभ अथवा हानि में मान्यता प्रदान की जायेगी (जब तक कि भारतीय लेखा मानक 17 बिक्री अथवा वापसी पट्टे पर अन्यथा अपेक्षा न करता हो)। लाभ को राजस्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा।
114. अमूर्त आस्ति का निपटान कई ढंग से हो सकता है (उदाहरण के लिए, बिक्री, वित्तीय पट्टे अथवा दान द्वारा)। ऐसी आस्ति के निपटान की तिथि वह तिथि होती है जिस पर प्राप्तकर्ता भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व*, के अनुसार जब कार्यनिष्पादन बाध्यता पूरी करने पर नियंत्रण प्राप्त करता है। भारतीय लेखा मानक 17, बिक्री तथा वापसी पट्टे द्वारा निपटान पर लागू होता है।
115. यदि अनुच्छेद 21 में वर्णित मान्यता सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुसार कोई प्रतिष्ठान आस्ति की अग्रणीत राशि में किसी अमूर्त आस्ति के किसी अंश को बदलने की लागत को भी मान्यता प्रदान करता है तो वह बदले गये अंश की अग्रणीत राशि की मान्यता समाप्त कर देता है। यदि बदले गये अंश की अग्रणीत राशि निर्धारित करना प्रतिष्ठान के लिए व्यवहार्य न हो तो वह बदले गये अंश की लागत का प्रयोग संकेत के रूप में कर सकता है कि अधिग्रहण के समय अथवा आन्तरिक रूप से सृजन के समय उसकी लागत क्या थी।
- 115क किसी व्यावसायिक संयोजन में पुनः अर्जित अधिकार के मामले में यदि अधिकार बाद में किसी तृतीय पक्ष को पुनः जारी किया गया हो (बेचा गया हो) तो संबंधित अग्रणीत राशि, यदि कोई हो, पुनः जारी किए जाने पर लाभ अथवा हानि का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जायेगी।
116. अमूर्त आस्ति की अमान्यता से उत्पन्न लाभ (गेन) या हानि में शामिल प्रतिफल की राशि का निश्चय भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 47-72 में लेन-देन कीमत के निश्चय की अपेक्षाओं अनुसार किया जाता है। लाभ (गेन) या हानि में शामिल प्रतिफल की प्राक्कलित राशि में बाद के परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 115, की लेन-देन कीमत में परिवर्तनों की अपेक्षाओं अनुसार किया जाता है।
117. निश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्ति का परिशोधन उस समय समाप्त नहीं हो जाता जब अमूर्त आस्ति का प्रयोग न हो रहा हो जब तक कि उस आस्ति का पूर्ण मूल्यहास हो जाये अथवा उसे बिक्री के लिए धारित श्रेणी में भारतीय लेखा मानक 105, के अनुसार वर्गीकृत कर दिया जाये (इसमें ऐसे निपटान समूह भी शामिल हैं जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है)।

प्रकटन

सामान्य

118. आन्तरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों तथा अन्य अमूर्त आस्तियों के बीच अंतर करते हुए प्रतिष्ठान प्रत्येक श्रेणी की अमूर्त आस्तियों के लिए निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (क) क्या उपयोगी जीवन-काल अनिश्चित है अथवा सीमित, और यदि सीमित है तो उपयोगी जीवन-काल अथवा प्रयुक्त परिशोधन दरें ;
- (ख) निश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त आस्तियों के लिए प्रयुक्त परिशोधन पद्धतियां ;
- (ग) अवधि के प्रारम्भ और अंत में, सकल अग्रणीत राशि और यदि कोई संचित परिशोधन हो (उसमें संचित क्षतिग्रस्तता हानियां जोड़ी जायें) ;
- (घ) लाभ एवं हानि विवरण की लाइन मद (मदें) जिसमें (जिनमें) अमूर्त आस्तियों का कोई परिशोधन शामिल किया गया हो ;
- (ङ) अवधि के प्रारम्भ तथा अंत में अग्रणीत राशि का मिलान जिसमें निम्नलिखित दर्शाए जाएंगे :
 - (i) ऐसे परिवर्द्धन जिनमें आंतरिक विकास को अलग से दर्शाया गया है, अलग से अर्जित किया गया है और व्यावसायिक संयोजनों के माध्यम से अर्जित किया गया है ;
 - (ii) भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत की गयी आस्तियां अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में शामिल आस्तियां तथा अन्य निपटान ;
 - (iii) अनुच्छेद 75, 85 और 86 के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप तथा भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार अन्य व्यापक आय में मान्य अथवा पलटी गयी क्षतिग्रस्तता हानियों से वृद्धि अथवा कमी (यदि कोई हों) ;
 - (iv) भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार अवधि के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य क्षतिग्रस्त हानियां (यदि कोई हों) ;
 - (v) भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार अवधि के दौरान लाभ अथवा हानि में पलटी गयी क्षतिग्रस्त हानियां (यदि कोई हों) ;
 - (vi) अवधि के दौरान, मान्य कोई परिशोधन ;
 - (vii) वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत मुद्रा में रुपान्तरित करने पर शुद्ध विनिमय अंतर तथा प्रतिष्ठान के विदेशी कार्य को प्रस्तुती मुद्रा में परिवर्तित करने पर शुद्ध विनिमय अंतर; और

(viii) अवधि के दौरान अग्रणीत राशि में अन्य परिवर्तन ।

119. अमूर्त आस्तियों की कोई श्रेणी एक ही किस्म की उन आस्तियों का समूह होती है जिन्हें प्रतिष्ठान के कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। अलग श्रेणियों के उदाहरण इस प्रकार हैं :

- (क) ब्राण्ड नाम ;
- (ख) समाचार-पत्रों के नाम लिखने की शैलियां तथा प्रकाशन शीर्ष ;
- (ग) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर ;
- (घ) लाइसेंस तथा फ्रैंचाइजी ;
- (ङ) प्रकाशनाधिकार (कापीराइट), पेटेंट तथा अन्य औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार, सेवा एवं परिचालन अधिकार ;
- (च) भोजन बनाने की विधियां, फॉर्मूले, मॉडल्स, डिज़ाइन तथा प्रोटोटाइप्स ; और
- (छ) विकसित हो रही अमूर्त आस्तियां ;

उपर्युक्त श्रेणियों को छोटी (बड़ी) श्रेणियों में बाँटा (समूहित किया) जा सकता है यदि उससे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को अधिक संगत सूचना मिल सकती हो ।

120. प्रतिष्ठान अनुच्छेद 118 (ङ) (iii) - (v) द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना के साथ-साथ भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार क्षतिग्रस्त अमूर्त आस्तियों से संबंधित सूचना भी प्रकट करेगा ।

121. भारतीय लेखा मानक 8 यह अपेक्षा करता है कि यदि किसी लेखा अनुमान में वर्तमान अवधि पर विशेष प्रभाव पड़ता हो अथवा बाद की अवधियों में विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो प्रतिष्ठान को उस लेखा अनुमान की प्रकृति तथा राशि की सूचना देनी होगी । ऐसे प्रकटन निम्नलिखित में हुए परिवर्तनों के कारण हो सकते हैं:

- (क) किसी अमूर्त आस्ति के उपयोगी जीवन-काल का मूल्यांकन;
- (ख) परिशोधन पद्धति; अथवा
- (ग) अवशिष्ट मूल्य।

122. प्रतिष्ठान निम्नलिखित की भी सूचना देगा:

- (क) जिस अमूर्त आस्ति को अनिश्चित उपयोगी जीवन-काल वाली आँका गया हो उसके लिए आस्ति की अग्रणीत राशि तथा ऐसे कारण जिनके आधार पर अनिश्चित उपयोगी जीवन-काल आँका गया हो । ऐसे कारण बताते समय प्रतिष्ठान ऐसे तत्वों का भी उल्लेख करेगा जिन्होंने यह

निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो कि आस्ति का अनिश्चित उपयोगी जीवन-काल है।

- (ख) किसी एक अमूर्त आस्ति की अग्रणीत राशि तथा शेष परिशोधन अवधि का विवरण जो कि प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण है ।
- (ग) सरकारी अनुदान के माध्यम से अर्जित तथा प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्य अमूर्त आस्तियां (देखें अनुच्छेद 44) ;
- (i) इन आस्तियों के लिए प्रारम्भ में मान्य उचित मूल्य ;
- (ii) इनकी अग्रणीत राशि ; तथा
- (iii) क्या लागत मॉडल अथवा पुनर्मूल्यांकन मॉडल के अन्तर्गत उन्हें मान्यता के बाद मापा जाता है ?
- (घ) जिन अमूर्त आस्तियों का स्वामित्व सीमित है तथा अग्रणीत राशि को दायित्वों के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया है उन अमूर्त आस्तियों की अग्रणीत राशि और उनका अस्तित्व ।

(ड.) अमूर्त आस्तियों के अर्जन के लिए अनुबंधात्मक प्रतिबद्धताओं की राशि ।

123. जब कोई प्रतिष्ठान ऐसा तत्व / ऐसे तत्व बताता है जिसने / जिन्होंने यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो कि किसी अमूर्त आस्ति का उपयोगी जीवन-काल अनिश्चित है तो वह प्रतिष्ठान अनुच्छेद 90 में दिए गए तत्वों की सूची पर विचार करता है।

पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करते हुए मान्यता के पश्चात् मापी गयी अमूर्त आस्तियां

124. यदि पुनर्मूल्यांकित राशियों पर अमूर्त आस्तियों की गणना की गयी हो तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित के संबंध में सूचना देगा :

(क) अमूर्त आस्तियों की श्रेणी द्वारा :

- (i) पुनर्मूल्यांकन की प्रभावी तारीख ;
- (ii) पुनर्मूल्यांकित अमूर्त आस्तियों की अग्रणीत राशि ; और
- (iii) यदि अनुच्छेद 74 के अनुसार लागत मॉडल का प्रयोग करते हुए मान्यता के पश्चात् अमूर्त आस्तियों की श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो मापी गयी अग्रणीत राशि और

(ख) पुनर्मूल्यांकन आधिक्य की वह राशि जो अवधि के प्रारम्भ तथा अंत में अमूर्त आस्ति से संबंधित हो जिससे शेयरधारकों को शेष राशि के वितरण पर अवधि के दौरान कोई प्रतिबंध ;

(ग) [देखें परिशिष्ट 1]।

125. प्रकटन के प्रयोजन से पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की कुल श्रेणियों को बड़ी श्रेणियों में बताना आवश्यक हो सकता है। बहरहाल, यदि ऐसा करने से अमूर्त आस्तियों का ऐसा संयोजन हो जाये कि जिसमें अमूर्त आस्तियों की ऐसी श्रेणियां भी आ जायें जिनमें लागत तथा पुनर्मूल्यांकन मॉडलों के अन्तर्गत मापी गयी दोनों प्रकार की राशियां शामिल होती हों तो ऐसा नहीं किया जायेगा।

अनुसंधान एवं विकास व्यय

126. अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्य अनुसंधान एवं विकास व्यय की कुल राशि प्रतिष्ठान द्वारा प्रकट की जायेगी।

127. अनुसंधान एवं विकास व्यय में ऐसा सारा व्यय आयेगा जो प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर खर्च किया गया हो (अनुच्छेद 126 के प्रयोजन से प्रकटन अपेक्षा के अनुसार शामिल किये जाने वाले व्यय की किस्म के बारे में मार्गदर्शन हेतु अनुच्छेद 66 और 67 देखें)।

अन्य सूचनाएं

128. प्रतिष्ठान को निम्नलिखित सूचना प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित तो किया जाता है परन्तु ऐसा करना उससे अपेक्षित नहीं है:

(क) ऐसी पूर्णतः परिशोधित अमूर्त आस्ति का विवरण जो अभी प्रयोग में ही है ; और

(ख) प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित परन्तु आस्तियों के रूप में मान्य न की गयी महत्वपूर्ण अमूर्त आस्तियों का संक्षिप्त विवरण क्योंकि वे इस मानक के अन्तर्गत या तो मान्यता के मानदण्ड पूरे नहीं करती हैं अथवा जो इस मानक के प्रभावी होने से पहले अर्जित अथवा उद्भूत हुई थीं।

परिशिष्ट क

अमूर्त आस्तियां -वेबसाइट लागतें

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है!

मुद्दा

1. आन्तरिक प्रयोग के लिए अथवा बाहरी व्यक्तियों के प्रयोग के लिए अपनी वैबसाइट तैयार करने और उसे चलाते रहने के लिए प्रतिष्ठान आन्तरिक व्यय कर सकता है। बाहरी व्यक्तियों के प्रयोग के लिए बनायी गयी वैबसाइट का प्रयोग कई कार्यों के लिए किया जा सकता है जैसे प्रतिष्ठान के अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और विज्ञापन के लिए, इलैक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करने तथा उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए। आन्तरिक प्रयोग के लिए बनाई गयी वैबसाइट का प्रयोग कम्पनी की नीतियों और ग्राहकों की जानकारी रखने तथा सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
2. वैबसाइट तैयार करने के विभिन्न चरणों का विवरण निम्नलिखित हो सकता है :
 - (क) योजना बनाना - इसमें व्यवहार्यता अध्ययन करना, उद्देश्य और विशेषताओं की परिभाषा देना, विकल्पों का मूल्यांकन करना तथा प्राथमिकताएं चुनना शामिल हैं।
 - (ख) एप्लीकेशन तथा आधारभूत विकास - इसमें डोमेन का नाम प्राप्त करना, हार्डवेयर तथा ऑपरेटिंग साफ्टवेयर खरीदना और विकसित करना, विकसित एप्लीकेशन को इंस्टाल एवं स्ट्रैस टेस्टिंग करना।
 - (ग) ग्राफिकल डिजाइन विकसित करना - इसमें वैबपेज की रूपरेखा का डिजाइन तैयार करना शामिल है।
 - (घ) विषय वस्तु विकसित करना - इसमें वैबसाइट विकसित किए जाने का कार्य पूरा होने से पहले वैबसाइट पर पाठ्यवस्तु के रूप में अथवा ग्राफिकल किस्म की सूचना बनाना, खरीदना, तैयार करना और सूचना (अपलोड) करना शामिल है। यह सूचना एक ऐसे अलग डाटाबेस में भी हो सकती है जिसे वैबसाइट में डाल दिया जाये अथवा सीधे ही वैब पृष्ठों पर कोड के रूप में डाला जा सकता है।
3. जब वैबसाइट विकसित करने का कार्य पूरा हो जाये तो परिचालन स्तर (ऑपरेटिंग स्टेज) का काम शुरू हो जाता है। इस चरण में प्रतिष्ठान अपनी वैबसाइट के एप्लीकेशनों, आधारभूत संरचना, ग्राफिकल डिजाइन और विषयवस्तु को बनाये रखता है और उसमें वृद्धि करता है।
4. जब प्रतिष्ठान की अपनी वैबसाइट के आन्तरिक अथवा बाहरी प्रयोग को विकसित करने अथवा उसका प्रयोग करने के लिए आन्तरिक व्यय का लेखांकन किया जाता है तो उसमें निहित मुद्दे निम्नलिखित हैं :

- (क) क्या वैबसाइट आन्तरिक रूप से तैयार की गयी ऐसी अमूर्त आस्ति है जिसपर भारतीय लेखा मानक 38 लागू होना चाहिए ; और
- (ख) ऐसे व्यय के लिए उपयुक्त लेखांकन प्रक्रिया ।
5. यह परिशिष्ट वैबसाइट के लिए हार्डवेयर खरीदने के लिए किये गये खर्च, उसे विकसित करने तथा ऑपरेटिंग हार्डवेयर पर किए गए खर्च (जैसे वैब सर्वर, स्टेजिंग सर्वर, उत्पादन सर्वर और इन्टरनेट कनेक्शन) पर लागू नहीं है। ऐसा खर्च भारतीय लेखा मानक 16, के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, जब प्रतिष्ठान किसी ऐसे इन्टरनेट सेवा प्रदाता पर खर्च करता है जो प्रतिष्ठान की वैबसाइट का होस्ट हो तो वह खर्च भारतीय लेखा मानक 1, के अनुच्छेद 88 के अन्तर्गत तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी *भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुसरण में* 'वित्तीय विवरण तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतिकरण विषयक कार्य-पद्धति' के अन्तर्गत व्यय की मान्यता में आता है जब सेवाएं प्राप्त की जाती हैं।
6. भारतीय लेखा मानक 38, उन अमूर्त आस्तियों पर लागू नहीं होता जो भारतीय लेखा मानक 17, की सीमा के भीतर प्रतिष्ठान द्वारा सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान बिक्री के लिए (देखें भारतीय लेखा मानक 2 तथा भारतीय लेखा मानक 115) अथवा पट्टे के लिए रखी गयी हों । तदनुसार, यह परिशिष्ट किसी अन्य प्रतिष्ठान को बेची जाने वाली वैबसाइट विकसित करने अथवा चलाने (अथवा वैबसाइट के सॉफ्टवेयर) पर किये गये खर्च पर लागू नहीं होता । जब कोई वैबसाइट परिचालन पट्टे के अन्तर्गत पट्टे पर दी जाती है तो पट्टाकर्ता इस परिशिष्ट का प्रयोग करता है। जब कोई वैबसाइट वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत पट्टे पर दी जाती है तो पट्टे वाली आस्ति की प्रारम्भिक मान्यता के बाद पट्टेदार इस परिशिष्ट को लागू करता है।

लेखा-सिद्धांत

7. किसी प्रतिष्ठान की अपनी ऐसी वैबसाइट जो विकसित करके बनायी गयी है और आन्तरिक अथवा बाहरी प्रयोग के लिए है वह आन्तरिक रूप से बनायी गयी अमूर्त आस्ति कहलाती है जो भारतीय लेखा मानक 38 के अन्तर्गत आती है।
8. जो वैबसाइट स्वयं बनायी गयी हो उसे उसी परिस्थिति में अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब यह मान्यता के संबंध में भारतीय लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 21 में वर्णित सामान्य अपेक्षाओं तथा प्रारम्भिक माप की सामान्य अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ भारतीय लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 57 की अपेक्षाओं को भी पूरा करती हो । विशेषतः, वह प्रतिष्ठान यह बताने में सक्षम हो कि उसकी वैबसाइट भारतीय लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 57 (घ) के अनुसार सम्भावित भावी आर्थिक लाभ किस प्रकार प्राप्त करने में सक्षम होगी, जब, उदाहरण के लिए, वैबसाइट द्वारा दिये जाने वाले आदेशों से प्रत्यक्ष राजस्व सहित राजस्व प्राप्त कर सकती है। यदि कोई प्रतिष्ठान यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि उसके उत्पादों को बढ़ावा देने अथवा उन्हें विज्ञापित करने के एक मात्र अथवा प्रमुख उद्देश्य से तैयार की गयी वैबसाइट सम्भावित भावी आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकती है तो ऐसी वैबसाइट तैयार करने पर किये गये सारे खर्च को खर्च माना जायेगा ।

9. प्रतिष्ठान की अपनी वैबसाइट विकसित करने तथा उसे चलाने पर किया गया सारा आन्तरिक खर्च भारतीय लेखा मानक 38, के अनुरूप हिसाब में लिया जायेगा। जिन गतिविधियों के लिए खर्च किया गया है उनमें से प्रत्येक के स्वरूप पर किया गया खर्च (उदाहरण के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा वैबसाइट का रख-रखाव) और वैबसाइट के विकास के चरण अथवा विकास के बाद की स्थिति का मूल्यांकन किया जायेगा ताकि उपयुक्त लेखांकन के तरीके का निर्धारण किया जा सके। उदाहरण के लिए :
- (क) योजना बनाने का चरण भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 54-56 में वर्णित अनुसंधान के चरण के समान ही है। इस चरण में किया गया वह खर्च माना जायेगा कि वह उस समय का जब वह किया गया था।
- (ख) प्रयोग तथा आधारभूत संरचना विकसित करने का चरण ग्राफ़िकल डिजाइन चरण तथा विषयवस्तु विकसित करने का चरण जहाँ तक प्रतिष्ठान के अपने उत्पादन एवं सेवाओं को विज्ञापित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिन्न है भारतीय लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 57-64 में वर्णित विकास चरण के समान प्रकृति का ही है। इन चरणों में किया गया खर्च उस समय इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 8 के अनुसार अमूर्त आस्ति के रूप में मान्य वैबसाइट की लागत में शामिल किया जायेगा जब वह खर्च वैबसाइट बनाने उसका उत्पादन करने अथवा तैयार करने के लिए आवश्यक हो जिससे वह प्रबन्धन द्वारा वांछित ढंग से कार्य करने में सक्षम हो सके। उदाहरण के लिए विशेष रूप से वैबसाइट के लिए विषयवस्तु खरीदने अथवा तैयार करने (ऐसी विषयवस्तु से भिन्न जो प्रतिष्ठान की अपनी उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन करती हो अथवा उन्हें बढ़ावा देती हो), अथवा वैबसाइट पर विषयवस्तु का प्रयोग करने में सक्षम बनाने पर किया गया खर्च उसे विकसित करने की लागत में शामिल किया जायेगा जब यह शर्त पूरी होती हो। बहरहाल, भारतीय लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 71 के अनुसार अमूर्त आस्ति पर जिस खर्च को पिछले वित्तीय विवरण में प्रारम्भ में व्यय के रूप में माना गया हो उसे बाद की तारीख पर अमूर्त आस्ति की लागत नहीं माना जायेगा (उदाहरणार्थ यदि किसी कॉपीराइट की लागत पूरी तरह परिशोधित हो चुकी हो और बाद में उसे वैबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाये)।
- (ग) विषयवस्तु के विकास चरण पर किये गये खर्च को भारतीय लेखा मानक 38, के अनुच्छेद 69 (ग) के अनुसार उस सीमा तक खर्च माना जायेगा जब विषयवस्तु का विकास प्रतिष्ठान के अपने उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन और बढ़ावा देने के लिए हो (जैसे उत्पादों के डिजिटल फोटोग्राफ)। उदाहरण के लिए जब प्रतिष्ठान के अपने उत्पादों और उनके प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल फोटोग्राफ खींचने पर व्यावसायिक सेवाएं लेने पर किये गये खर्च का लेखांकन किया जाना हो तो उस खर्च को खर्च के रूप में ही माना जायेगा क्योंकि व्यावसायिक सेवाएं उस प्रक्रिया के दौरान ली गयीं न कि तब जब डिजिटल फोटोग्राफ वैबसाइट पर प्रदर्शित किये गये थे।
- (घ) परिचालन चरण तब शुरू होता है जब वैबसाइट को विकसित करने का काम पूरा हो जाये। इस चरण के दौरान किये गये खर्च को तब खर्च के रूप में माना जाता है जब यह खर्च किया जाये

जब तक कि वह भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 18 में वर्णित मान्यता के मानदण्डों को पूरा न करता हो ।

10. जिस वैबसाइट को इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 8 के अन्तर्गत अमूर्त आस्ति के रूप में माना गया हो उसे भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 72-87 के अन्तर्गत प्रारम्भिक मान्यता सम्बन्धी अपेक्षाओं को लागू करके मापा जायेगा । वैबसाइट के उपयोगी जीवन-काल का सर्वोत्तम अनुमान संक्षिप्त ही होना चाहिए।

परिशिष्ट ख

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 38 का अभिन्न अंग है।

इस परिशिष्ट में उन परिशिष्टों की सूची दी गयी है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं तथा वे भारतीय लेखा मानक 38, *अमूर्त आस्तियां* के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं।

1. परिशिष्ट ग, सेवा रियायत प्रबंध — भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* में समाविष्ट ।
2. परिशिष्ट घ, सेवा रियायत प्रबंध : प्रकटन — भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* में समाविष्ट ।
3. परिशिष्ट ग, यह निर्धारित करना कि की गयी व्यवस्था एक पट्टा है — भारतीय लेखा मानक 17, *पट्टे* में समाविष्ट ।
4. परिशिष्ट ख, सतही खान के उत्पादन चरण में निकासी लागतें — भारतीय लेखा मानक 16, *संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर* में समाविष्ट ।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखामानक (इंड ए एस) 38 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखामानक (आई ए एस) 38, 'अमूर्त आस्तियां' एवं 'एस आई सी' 32, 'अमूर्त आस्तियां-वेबसाइट लागतें' के बीच यदि कोई प्रमुख अन्तर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखामानक (आई ए एस) 38, अमूर्त आस्तियां एवं 'एस आई सी' 32 के साथ तुलना

1. सरकारी अनुदान के द्वारा एक अमूर्त आस्ति के अधिग्रहण के सम्बंध में, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 38 'अमूर्त आस्तियां' एक प्रतिष्ठान को यह विकल्प प्रदान करता है कि वह आस्ति और अनुदान दोनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर या नाममात्र राशि व इसके वांछित प्रयोग के लिए आस्ति को तैयार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से किये गये व्यय के साथ को मान्यता दे। भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्ति के लिए भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार अनुदान की मान्यता के लिए केवल उचित मूल्य को अनुमति देते हैं।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 38 के संक्रमकालीन उपबंध भारतीय लेखा मानक 38 में नहीं दिये गये हैं क्योंकि सभी भारतीय लेखा मानकों से सम्बंधित संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझे गए, आई एफ आर एस 1 'अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग, मानकों के प्रथमबार अंगीकरण' के तदनुसूची भारतीय लेखा मानक 101 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण' में सम्मिलित कर लिये गये हैं।
3. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग गया है जैसे शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलनपत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
4. अनुच्छेद 7कक को इस आशय के लिए सम्मिलित किया गया है कि उस प्रतिष्ठान को इस बात से बाहर रखा जाए जो भारतीय लेखा मानक 101 के परिशिष्ट 'घ' के अनुच्छेद घ22 में दिये गये अपवाद के अनुसार भारतीय लेखा मानक की प्रथम रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ से तत्काल पहले की समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में मान्य टॉल सडकों के संबंध में सेवा रियायत व्यवस्थाओं से उत्पन्न अमूर्त आस्तियों के परिशोधन का चयन करता है।

5. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक के निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाए गये' के रूप में प्रदर्शित हैं। भारतीय लेखा मानक 38 व अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 38 भी अनुच्छेद संख्याओं में परस्पर क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से इन्हें भारतीय लेखा मानक 38 में जारी रखा गया है:-
- (i) अनुच्छेद 38-41;
 - (ii) अनुच्छेद 124(ग)
6. दृष्टांत उदाहरणों के निम्नलिखित संदर्भ, जो अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 38 या 'एस आई सी' 32 के अभिन्न अंग नहीं हैं, भारतीय लेखा मानक 38 में सम्मिलित नहीं किये गये हैं:
- (i) अनुच्छेद 89 में दी गई दृष्टांत उदाहरणों का संदर्भ जिसमें विभिन्न आस्तियों के उपयोगी कार्यकाल (जीवनकाल) का निर्धारण और बाद में उन आस्तियों के उपयोगी कार्यकाल (जीवनकाल) पर आधारित लेखा का संदर्भ दिया गया है ।
 - (ii) उदाहरणों में प्रदत्त अतिरिक्त दिशा-निर्देश सम्बन्धित 'एस आई सी' 32 के अनुच्छेद 9 का संदर्भ।